

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

हरियाणा सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2019

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय-1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.3	9
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	18
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	20
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	21
व्यय की गुणवत्ता	1.7	27
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	30
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	35
ऋण प्रबंधन	1.10	39
राजकोषीय असंतुलन	1.11	43
निष्कर्ष	1.12	48
अध्याय-2		
वित्तीय प्रबंधन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	49
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	50
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	52
खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	57
बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम	2.5	59
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	62
निष्कर्ष	2.7	66

अध्याय-3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.1	67
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	68
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	68
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.4	69
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	70
दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.6	70
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.7	72
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन	3.8	72
निष्कर्ष	3.9	73

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	75
1.2	भाग-क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	76
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	79
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	1.3	80
1.5	भाग-क: वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	82 84
1.6	वर्ष 2017-18 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) तथा वास्तिकों के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.2	85
1.7	वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	86
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.8.4	87
1.9	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी सांझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे	1.8.5	88
2.1	2017-18 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.1	90
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी	2.3.3	91
2.3	उन मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	92
2.4	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण	2.3.6	94
2.5	मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण	2.3.7	102
2.6	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.8	104
2.7	भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण	2.4.2	106
2.8	स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए	2.5.3 (i)	107

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.9	स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (ii)	108
2.10	स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iii)	109
2.11	स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (iv)	110
2.12	स्कीमों (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (v)	111
2.13	स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आऊटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vii)	114
2.14	स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक था	2.5.3 (viii) 2.5.3 (ix)	117 117
2.15	स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (x)	118
2.16	स्कीमों (₹ पांच करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था	2.5.3 (xi)	119
2.17	उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	2.6.1 (ii)	120
2.18	पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.1 (iii)	121
2.19	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले	2.6.1 (v)	122
2.20	उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ पांच करोड़ से अधिक थी	2.6.2 (iii)	123
2.21	अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचत (₹ एक करोड़ से अधिक)	2.6.2 (iv)	124
2.22	स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया	2.6.2 (vi)	125
2.23	स्कीमों के विवरण जिनमें 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 24 के अंतर्गत प्रावधान के बिना व्यय (₹ दो करोड़ से अधिक) किया गया था	2.6.2 (vii)	126

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.24	पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों (₹ पांच करोड़ से अधिक) से संबंधित शीर्ष-वार विवरण	2.6.2 (viii)	127
2.25	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले	2.6.2 (ix)	128
3.1	31 मार्च 2018 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.2	129
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.3	131
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.4	130
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.5	139
3.5	दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2018 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.6	140
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे	3.6	141
	शब्दावली		
	पारिभाषिक शब्दावली		143
	संकेताक्षरों की शब्दावली		145

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 3 "वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2018 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाइम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, खजानों की कार्यप्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

राज्य, राजकोषीय सुधार पथ पर है। तथापि, राज्य ने अभी तक रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया है जैसाकि चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित किया गया है। यह राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे की मात्रा में गिरावट आई है। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 17 प्रतिशत रह गया।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2016-17 में स.रा.घ.उ. के 2.89 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,068.82 करोड़ की प्राप्तियां 2011-17 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2017-18 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय ने राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडीज़ (₹ 8,446 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 7,624 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 6,675 करोड़ (97 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसका मुख्य कारण उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में बदलना था। 2016-17 तक तीन डिस्कॉम्ज की संचित हानियां ₹ 30,310 करोड़ थीं।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.04 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8 से 9.83 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 5,755.08 करोड़ के निवेश किए। इसमें से ₹ 5,454.44 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश किए गए थे। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान घाटा उठा रही पांच कंपनियों में ₹ 5,473.78 करोड़ के निवेश किए।

राजस्व घाटा 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 10,562 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ रही, 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ (73 प्रतिशत) और ₹ 7,153 करोड़ (45 प्रतिशत) तक कम हो गईं।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को ₹ 1,64,076 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.97 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा थीं।

2017-18 की समाप्ति पर ₹ 4,417 करोड़ का नकद शेष ₹ 5,527 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने एस.डी.आर.एफ. और खदानों एवं खनिजों के रेस्टोरेशन और पुनर्वास के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,266 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 2,407 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2016-17 में ₹ 1,22,617 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के दौरान ₹ 1,37,813 करोड़ (12.39 प्रतिशत) हो गए। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2017-18 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2017-18 के दौरान, ₹ 1,24,990.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,02,962.69 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थीं। जिसे वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

59 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 22,731.21 करोड़ सरेंडर किए गए थे

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर)। 15 मामलों में ₹ 9,158.16 करोड़ सरेंडर किए गए जोकि वास्तविक बचतों से ₹ 345.16 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों में से ₹ 418.09 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। अनुचित विनियोजनों में दोनों प्रकार, अपर्याप्त पूरक प्रावधान तथा अनावश्यक एवं अत्यधिक विनियोजन के मामले भी पाए गए।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए मार्च 2018 के माह के दौरान 15 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 11,205.77 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,682.69 करोड़ (33 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2018 के महीने के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

राज्य ने भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.)-3 का अनुपालन नहीं किया है: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों को अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और व्यक्तिगत ऋणदाता की शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई थी।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 7,800.80 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,588 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2018 को बकाया थे। 85 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 216 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2018 को बकाया थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.34 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 71 मामले सूचित किए जिन पर जून 2018 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 43 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2017-18 के दौरान कुल व्यय का 13.28 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय पहलुओं में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाई गई है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2017-18 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 6,08,471 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 2001 में 67.91 प्रतिशत थी जोकि 2011 में बढ़कर 75.60 प्रतिशत हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,96,982¹ थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक निश्चित समयावधि में आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी निर्मित सामानों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. में हुई बढ़ोतरी राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक बढ़ोतरी में प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं:

¹ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. की तुलना में स.घ.उ. की तुलनात्मक विवरणी


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
पंजाब	11.56	6.91	9.85	9.81	10.03
उत्तराखंड	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,47,507	3,70,400	4,08,562	4,42,201	4,77,736
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.29	6.59	10.30	8.23	8.04

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

सरकार के वित्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

पिछले वर्ष (2016-17) की तुलना में चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
भाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	52,496.82	62,694.87	राजस्व व्यय	68,403.43	73,257.36
कर-राजस्व	34,025.68	41,099.38	सामान्य सेवाएं	21,630.79	26,698.68
कर-भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85	सामाजिक सेवाएं	25,473.49	28,061.34
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	6,597.47	7,297.52	आर्थिक सेवाएं	20,875.21	18,106.82
भारत सरकार से अनुदान	5,677.58	5,185.12	सहायता अनुदान एवं अंशदान	423.94	390.52
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27	39.87	पूंजीगत परिव्यय	6,863.10	13,537.90
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	973.23	6,340.93	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,514.91	1,394.89
लोक ऋण प्राप्तियां	28,169.52	21,489.76	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,275.84	6,338.85
आकस्मिक निधि	80.14	26.77	आकस्मिक निधि	80.14	26.77
लोक लेखा प्राप्तियां	32,107.64	33,894.25	लोक लेखा संवितरण	29,275.67	31,171.48
आरंभिक नकद शेष	6,217.73	5,658.26	अंतिम नकद शेष	5,658.26	4,417.46
कुल	1,20,071.35	1,30,144.71	कुल	1,20,071.35	1,30,144.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं अनुप्रयोग का विवरण **चार्ट 1.2** और **चार्ट 1.3** में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 में राज्य के वित्तों के मूल मापदंडों (चार्ट 1.2 और 1.3) की गत वर्ष 2016-17 से तुलना नीचे दी गई है:

तालिका 1.3: मूल मापदण्ड

स्थिति संकेतक	कड़ी निगरानी वाले मापदण्ड
↑ कर राजस्व में 21 प्रतिशत की वृद्धि	↓ राजस्व व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि
↑ लोक ऋण प्राप्तियों में 24 प्रतिशत की कमी	↓ नकद शेष में ₹ 1,240.80 करोड़ की कमी

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भारत सरकार से जरूरी दिशानिर्देश न मिलने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अपेक्षित संशोधन नहीं किए गए।

चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. में 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रक्षेपित की है। चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के लिए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय चर राशियों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)

राजकोषीय चर राशियां		2017-18						
		चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
						चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/ सरप्लस (+)	उदय सहित	(+) 0.81	(-) 1.80	(-) 1.86	(-) 1.74	(-) 2.55	(+) 0.06	(+) 0.12
	उदय को छोड़कर	--	(-) 0.94	(-) 0.97	(-) 1.39	--	(-) 0.45	(-) 0.42
राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	उदय सहित	(-) 3.25	(-) 2.84	(-) 2.84	(-) 3.14	(+) 0.11	(-) 0.30	(-) 0.30
	उदय को छोड़कर	--	(-) 2.61	(-) 2.61	(-) 2.79	-	(-) 0.18	(-) 0.18
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात	उदय सहित	20.45	22.93	22.93	26.97	6.52	4.04	4.04
	उदय को छोड़कर	--	18.74	18.74	22.70	-	3.96	3.96


- चौ.वि.आ. की सिफारिश के अनुसार राज्य को राजस्व आधिक्य होना चाहिए और वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व आधिक्य का अनुमान ₹ 4,950 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.81 प्रतिशत) रखा गया था, जिसके विरुद्ध, वास्तविक रूप से, ₹ 10,562 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.74 प्रतिशत) का राजस्व घाटा हुआ। राज्य का राजस्व घाटा बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. (परिशिष्ट 1.6) में किए गए प्रक्षेपण के भीतर था।
- राजकोषीय घाटा चौ.वि.आ. की सिफारिशों के भीतर था, लेकिन बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक था। राज्य की बकाया देनदारियां स.रा.घ.उ. की 26.47 प्रतिशत थीं जोकि चौ.वि.आ. की सिफारिशों के साथ-साथ बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक थीं।

राज्य सरकार ने चौ.वि.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। राज्य, राजस्व घाटे और बकाया ऋण के संबंध में चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी विफल रहा।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज किसी भी वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक राशियां चार्ट 1.4 में दी गई हैं।

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2017-18 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



- ₹ 68,811 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 62,695 करोड़ (91.11 प्रतिशत) थी।

- कर प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 51,712 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्तियों के विरुद्ध केवल ₹ 48,397 करोड़ की प्राप्ति थी इसका मुख्य कारण वैट एवं जी.एस.टी. में ₹ 30,500 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध केवल ₹ 26,442 करोड़ की प्राप्ति थी। ₹ 6,100 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध राज्य उत्पाद शुल्क में ₹ 4,966 करोड़ की प्राप्ति थी।
- कर-भिन्न प्राप्तियां ₹ 17,099 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 14,298 करोड़ (83.62 प्रतिशत) थी मुख्यतः सड़क परिवहन (₹ 690 करोड़), शहरी विकास (₹ 139 करोड़) तथा शिक्षा (₹ 356 करोड़) में कम प्राप्तियां हुईं।
- सामाजिक सेवाओं (₹ 3,342.24 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 5,645.44 करोड़) में कम राजस्व व्यय हुआ। वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 79,936 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 6,679 करोड़ कम था। पेंशन पर ₹ 2,183.01 करोड़ के अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं में राजस्व व्यय ₹ 2,319.37 करोड़ अधिक हुआ था।
- ₹ 12,449 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 13,538 करोड़ था।
- सरकार राजस्व घाटे को ₹ 10,562 करोड़ के अनुमान के भीतर बनाए रखने में कामयाब रही।
- वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे अनुमान से अधिक थे।

राजस्व प्राप्ति बजट के लक्ष्यों से कम थी और राजस्व व्यय भी बजट अनुमानों से कम था। हालांकि राज्य सरकार राजस्व घाटे को बजट अनुमानों के भीतर रखने में सफल रही लेकिन चौ.वि.आ. के राजस्व आधिक्य राज्य के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था जोकि 2.84 प्रतिशत के प्रक्षेपण से अधिक था।

1.1.4 उत्पलावकता अनुपात

उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दिए गए मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है। राजस्व प्राप्तियों, राज्य की अपनी कर प्राप्तियों, कुल व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.)					
वर्ष के दौरान आर.आर. (₹ करोड़ में)	38,012	40,799	47,557	52,497	62,695
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.02	7.33	16.56	10.39	19.43
स.रा.घ.उ. के संबंध में आर.आर. की उत्पलावकता	0.86	0.78	1.48	0.85	1.68
राज्य का अपना कर राजस्व (एस.ओ.टी.आर.)					
वर्ष के दौरान एस.ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	25,567	27,635	30,929	34,026	41,099
एस.ओ.टी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.52	8.09	11.92	10.01	20.79
स.रा.घ.उ. के साथ एस.ओ.टी.आर. की उत्पलावकता	0.57	0.86	1.07	0.82	1.80
कुल व्यय (टी.ई.)					
वर्ष के दौरान टी.ई. (₹ करोड़ में)	46,598	53,677	79,394	79,781	88,190
टी.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.05	15.19	47.91	0.49	10.54
स.रा.घ.उ. के साथ टी.ई. की उत्पलावकता	0.34	1.61	4.28	0.04	0.91
राजकोषीय देयताएं (एफ.एल.)					
वर्ष की समाप्ति पर एफ.एल. (₹ करोड़ में)	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
एफ.एल. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.66	15.97	36.49	21.25	12.10
स.रा.घ.उ. के साथ एफ.एल. की उत्पलावकता	1.17	1.69	3.26	1.74	1.04



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में आर.आर. और एस.ओ.टी.आर. की उत्पलावकता 2017-18 के दौरान अधिक थी। यह इंगित करता है कि 2017-18 के दौरान आर.आर. की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से अधिक थी। कुल व्यय की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी जबकि राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. से अधिक थी।

1.2 वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से एकत्रित राशि शामिल होती हैं। तालिका 1.2 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है। जबकि चार्ट 1.6 2013-18 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है। चार्ट 1.5 तथा चार्ट 1.7 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।


चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,723 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 33,894 करोड़) घटा लोक लेखा संवितरण (₹ 31,171 करोड़)।


सरकार की कुल प्राप्तियां 2013-18 के दौरान ₹ 35,413 करोड़ (61.19 प्रतिशत) बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 24,683 करोड़ (64.93 प्रतिशत) बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,995 करोड़ (55.91 प्रतिशत) बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 735 करोड़ (36.97 प्रतिशत) बढ़ गई।



कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2013-14 में 65.68 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़कर 67.20 प्रतिशत हो गया। 2013-18 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 3.43 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2.92 प्रतिशत हो गया तथा ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा भी 30.89 प्रतिशत से घटकर 29.88 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2013-18 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.8 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्ति 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान 64.93 प्रतिशत बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 60.75 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 25.64 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 118.31 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2013-14 तथा 2017-18 के दौरान 80 प्रतिशत रहा। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2013-14 में 10.86 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 8.27 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का हिस्सा 2013-14 से 2017-18 के दौरान 8.80 प्रतिशत से बढ़कर 11.64 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 19.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से कर राजस्व में ₹ 7,073.70 करोड़ (20.79 प्रतिशत) और कर-भिन्न राजस्व में ₹ 2,916.76 करोड़ (47.07 प्रतिशत) के साथ-साथ भारत सरकार से संघीय करों और शुल्कों की हिस्सेदारी में वृद्धि ₹ 700.05 करोड़ (10.61 प्रतिशत) के कारण हुआ था। यह वृद्धि भारत सरकार से सहायतानुदान में आंशिक कमी ₹ 492.46 करोड़ (8.67 प्रतिशत) से संतुलित हो गई थी। स.रा.घ.उ. के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.6: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	38,012	40,799	47,557	5,2497	62,695
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.02	7.33	16.56	10.39	19.43
एस.ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	25,567	27,635	30,929	34,026	41,099
एस.ओ.टी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.52	8.09	11.92	10.01	20.79

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 19.4 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (*परिशिष्ट 1.1*)।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.7 में दी गई हैं।

तालिका 1.7: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	57,315	43,340 ²	43,340	41,099	(-) 28.29	(-) 5.17	(-) 5.17
कर-भिन्न राजस्व	4,544	10,081 ³	10,082	9,113	100.55	(-) 9.60	(-) 9.60

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 28.29 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 5.17 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 100.55 प्रतिशत अधिक थी किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 9.60 प्रतिशत कम रही।

इस प्रकार, राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अपने अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

² केन्द्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

³ सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों में सकल संग्रहण तालिका 1.8 में दिए गए हैं जो 2013-18 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.8: राज्य के अपने स्रोतों के घटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)	15,608.92 (-34)
जी.एस.टी.	-	-	-	-	10,833.43
राज्य उत्पाद शुल्क	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)	4,966.21 (8)
वाहनों पर कर	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)	2,777.57 (75)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)	4,192.49 (28)
भू-राजस्व	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)	18.07 (12)
माल तथा यात्रियों पर कर	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)	2,317.47 (290)
अन्य कर ⁴	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)	385.22 (-14)
कुल	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)	41,099.38 (21)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के दौरान कर राजस्व ₹ 15,532.78 करोड़ (60.75 प्रतिशत) बढ़ गया। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. के लागू होने के पश्चात 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। वर्ष 2017-18 के दौरान माल एवं यात्रियों पर करों के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में ₹ 1,722.88 करोड़ की वृद्धि एकबारगी निपटान प्रोत्साहन योजना⁵ के कारण थी।



2013-17 के दौरान हरियाणा का अपना कर-स.रा.घ.उ. अनुपात पंजाब और उत्तर प्रदेश से कम था। हालांकि, 2017-18 के दौरान पंजाब के (6.46 प्रतिशत) की तुलना में हरियाणा का अपना कर-स.रा.घ.उ. अनुपात 6.75 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

⁴ अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाय अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

⁵ राज्य सरकार ने बकाया देयों की वसूली के लिए "हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम" शुरू की (जून 2017), जिसमें बकाया देयों के भुगतान पर जुर्माना और ब्याज की माफी प्रदान की।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जी.एस.टी. (राज्यों के मुआवजे) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। मुआवजे की गणना भारत के सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया था। हरियाणा के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 15,230.59 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) लागू करके की जानी थी।

आधार वर्ष के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 14,845.26⁶ करोड़ था। वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे में जी.एस.टी. की प्राप्ति के आंकड़े, प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा (एस.जी.एस.टी.) कर, एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, आई.जी.एस.टी. का विभाजन तथा आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन के रूप में चित्रित किए गए हैं। ₹ 14,845.26 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है, ₹ 10,943.02 करोड़ तथा मुआवजा राशि ₹ 1,199 करोड़ रही। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2018 को मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 2,703.24 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.9: माह-वार प्राप्त जी.एस.टी. एवं मुआवजा प्राप्ति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. से पहले एकत्र कर	एकत्र एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. का अनन्तिम विभाजन	कुल राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी (+)/ सरप्लस (-)
जुलाई 2017	1649.47	51.22	0.20	0.00	51.42	0.00	1598.05
अगस्त-2017	1649.47	1.84	159.85	-286.67	-124.98	0.00	1774.45
सितंबर-2017	1649.47	1.21	1087.72	113.76	1202.69	476.00	-29.22
अक्टूबर-2017	1649.47	1.20	718.07	232.71	951.98	0.00	697.49
नवंबर-2017	1649.47	1.12	1033.62	152.64	1187.38	325.00	137.09
दिसंबर-2017	1649.47	11.23	1426.45	380.45	1818.13	0.00	-168.66
जनवरी-2018	1649.47	1.13	964.07	351.99	1317.19	0.00	332.28
फरवरी-2018	1649.47	3.40	1311.33	1069.50 ⁷	2384.23	0.00	-734.76
मार्च-2018	1649.47	37.23	1823.50	294.25	2154.98	398.00	-903.51
कुल	14845.26	109.58	8524.81	2308.63	10943.02	1199.00	2703.24

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. व हक.) हरियाणा से सूचना

⁶ 2017-18 के लिए ₹ 15,230.59 x (1+ 14/100)² = ₹ 19,793.675 करोड़ तथा नौ महीने के लिए = ₹ 19,793.675 करोड़ x 3/4 = ₹ 14,845.26 करोड़

⁷ इसमें आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण प्राप्त ₹ 667 करोड़ शामिल हैं।

आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई.जी.एस.टी. का वितरण करती है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) द्वारा फरवरी 2018 में ₹ 667 करोड़ अनंतिम/अग्रिम विभाजन की मंजूरी प्रदान की। यह राशि वर्ष 2018-19 में आई.जी.एस.टी. के नियमित निपटान में से दस बराबर किस्तों में समायोजित की जानी है। पहला समायोजन अप्रैल 2018 की किस्त से किया जाना था। परंतु, भारत सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2017 में राज्य को प्रदान किए गए द्विमासिक मुआवजे से ₹ 667 करोड़ को समायोजित किया। भारत सरकार ने इस द्विमासिक अवधि के लिए मुआवजा जारी नहीं किया।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.10 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।


तालिका 1.10: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	0.66
	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	0.69
	2017-18	15,608.92	147.94	0.95	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2015-16	1,400.38	18.72	1.34	4.99
	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	2.61
	2017-18	2,777.57	38.23	1.38	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2015-16	4,371.08	31.08	0.71	3.21
	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	2.01
	2017-18	4,966.21	42.33	0.85	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2015-16	3,191.21	15.37	0.48	2.87
	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	2.99
	2017-18	4,192.49	9.82	0.23	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2013-18) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.10 तथा तालिका 1.11 में दी गई है जोकि 2013-18 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.11: 2013-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्ति	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)	2,227.82 (-4)
लाभांश तथा लाभ	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)	7.53 (28)
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	3,877.86 (7)	3,673.73 (-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)	6,877.50 (77)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	95	129	110	113	132
बी) सड़क परिवहन	1,098	1,235	1,255	1,265	1,280
सी) शहरी विकास	1,105	861	422	599	2,861
डी) शिक्षा	319	564	637	640	674
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	79	43	272	497	713
कुल	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)	9,112.85 (47)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2013-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्ति ₹ 4,137.79 करोड़ (83.17 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 9,112.85 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,916.76 करोड़ (47.07 प्रतिशत) बढ़ गया जोकि मुख्यतः शहरी विकास विभाग⁸ और अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान कर-भिन्न राजस्व द्वारा राजस्व प्राप्ति का 14.54 प्रतिशत का संघटित किया गया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायतानुदान प्रदान करने के लिए योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया तथा प्रमुख शीर्ष-1601 सहायतानुदान (जी.आई.ए.) के अंतर्गत नए उप-प्रमुख शीर्षों का संचालन किया गया। भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से ₹ 492.46 करोड़ तक घट गए जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

⁸ राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, मई 2017 से बाहरी विकास प्रभार राज्य की समेकित निधि में मुख्य शीर्ष 0217 के अंतर्गत जमा किए जाने शुरू हो गए थे, जो पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के पास जमा किए जाते थे।

तालिका 1.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	2,256.17	1,723.20	3,744.39	3,078.49	-
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	856.66	2,815.36	2,268.18	2,327.52	-
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	62.99	24.57	27.53	34.50	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	951.36	439.75	338.66	237.07	2,326.62
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	1,316.68
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उद्भूत राजस्व की हानि के लिए मुआवजा					1,199.00
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	-	342.82
कुल	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.58	5,185.12
	(76)	(21)	(28)	(-11)	(-9)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से सहायतानुदान ₹ 5,677.58 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 5,185.12 करोड़ (2017-18) प्राप्त हुआ, जिसमें जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के बदले ₹ 1,199 करोड़ का मुआवजा भी शामिल था।

1.3.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियां हस्तांतरित कर रही है। भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया। तथापि, 2017-18 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ₹ 3,226.60 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि तालिका 1.13 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.13: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1.	स्वायत्त आर. एंड डी. संस्था	(i) पंजीकृत सोसायटी, (ii) सांविधिक निकाय	97.34
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	254.54
3.	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	32.74
4.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम.पी.एल.ए.डी.एस.	उपायुक्त	75.00
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	11.88
6.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड.	350.00
7.	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास विभाग	(i) पंजीकृत सोसायटी (ii) वैधानिक निकाय (iii) राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम (iv) सरकारी स्वायत्त निकाय (v) सरकारी संस्थान	156.86
8.	घनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.एस.) को सहायता	एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	152.29
9.	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम	541.99
10.	दिव्यांग व्यक्ति एस.जे.ई. (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	12.70
11.	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	31.89

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
12.	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद	29.16
13.	खाद्य प्रसंस्करण सी.एस. राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम	24.84
14.	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	57.20
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) को सहायता	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	132.80
16.	क्षमता निर्माण: पंचायत सशक्तिकरण अभियान	मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	10.55
17.	एकीकृत बिजली विकास योजना	भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65.70
18.	स्वदेश दर्शन-एकीकृत विकास थीम आधारित पर्यटन सकिट	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	13.60
19.	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भूगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	190.80
20.	आयातित पी. एंड के. उर्वरकों के लिए भूगतान	मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	513.87
21.	औद्योगिक और उद्यमिता विकास	जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र	46.19
22.	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	10.22
23.	रोड विंग के अंतर्गत कार्य	इंज. धतरवाल कंस्ट्रक्शन, आदि	214.59
24.	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	39.09
25.	अन्य स्कीमें	-	160.76
		कुल	3,226.60

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

राज्य में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, जिसमें केंद्रीय निकायों और राज्य सरकार के दायरे से बाहर के अन्य संगठन शामिल थे, को भारत सरकार द्वारा ₹ 3,756.60 करोड़ की कुल निधियां हस्तांतरित की गई जिसमें से ₹ 3,226.60 करोड़ (86 प्रतिशत) की राशि राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई थी।

1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2016-17 में ₹ 6,597.47 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,297.52 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2016-17 के लिए वास्तविक	2017-18 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	2,118.57	2,235.92	117.35
आयकर	32 प्रतिशत की	1,472.41	1,888.08	415.67
धन कर	तूलना में राज्यों	4.85	-0.07	(-) 4.92
सीमा शुल्क	को केंद्रीय करों की	911.33	736.90	(-) 174.43
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	हिस्से योग्य राशि	1,040.65	770.20	(-) 270.45
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	1,049.64	825.05	(-) 224.59
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		0.02	-	(-) 0.02
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)		-	104.36	104.36
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)			737.08	737.08
कुल		6,597.47	7,297.52	700.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

2017-18 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 7,297.52 करोड़) 2016-17 की तुलना में ₹ 700.05 करोड़ अधिक था, लेकिन यह राशि बजट अनुमान 2017-18 (₹ 8,371.78 करोड़) की तुलना में ₹ 1,074.26 करोड़ कम थी।

1.3.5 सेस लगाकर सृजित निधि

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी बजट के स्थान पर नोमिनेटिड निधियों द्वारा लोक व्यय करके विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की है।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2016 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,069.70 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2016-17 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 420.18 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रम कल्याण योजनाओं पर ₹ 77.99 करोड़ सहित ₹ 82.72 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2017 तक बोर्ड के पास ₹ 2,407.16 करोड़ की निधियां थीं।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-17 के दौरान प्राप्तियां ₹ 3,068.82 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,468.28 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा का इन निधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राजस्व प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा हों और राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद व्यय हों।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में निधियों का आबंटन तथा किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन, निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2016-17			2017-18		
	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	427.96	429.04	301.21	536.84	305.45	536.84
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत-एस.डी.आर.एफ.	357.75	357.75	357.75	254.25	254.25	254.25
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	656.72	656.72	656.72	756.98	756.98	756.98
कुल	1,442.43	1,443.51	1,315.68	1,548.07	1,316.68	1,548.07

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, ऋणों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भारत सरकार से) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2013-18) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.16 में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	17,875.90	19,150.31	38,356.69	29,169.02	27,870.56
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	29.98	26.27	39.87
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	261.85	272.82	328.28	973.23	6,340.93
लोक ऋण प्राप्तियां	17,604.16	18,858.75	37,998.43	28,169.52	21,489.76
बाजार ऋण	11,446.18	13,200.00	14,099.99	15,800.00	16,639.49
बॉण्ड्स	0.00	0.00	17,300.00	8,650.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,777.60	4,102.79	4,641.45	3,412.39	4,525.43
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	566.60	1,251.31	1,721.40	-	-
अन्य ऋण	472.31	173.89	138.36	183.87	104.35
भारत सरकार से ऋण	341.47	130.76	97.23	123.26	141.01
लोक ऋण प्राप्ति से बाजार ऋण की प्रतिशतता	65.02	69.99	37.11	56.09	77.43
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	16	7	101	(-) 26	(-) 24
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	(-) 25	7	23	179	538
स.रा.घ.उ. की	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
पूंजीगत प्राप्तियों की	15	7	100	(-) 24	(-) 4

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा बॉण्ड्स तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से

उठाए गए कम ऋणों के कारण 2016-17 में 56.09 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 77.43 प्रतिशत हो गया। मुख्यतः ऊर्जा कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण गैर-ऋण प्राप्तियां (₹ 6,380.80 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में 538 प्रतिशत बढ़ गई। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को कुल संवितरण कंपनियों की देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिग्रहित करने के लिए 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2017-18 के दौरान 16 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 39.87 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 26.27 करोड़) से 51.77 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

2013-18 के दौरान संवितरित किए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: 2013-18 के दौरान संवितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)					
संवितरित और वसूले गए ऋण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारंभिक शेष	3,488	4,002	4,572	17,494	21,036
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	776	843	13,250	4,515	1,395
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	262	273	328	973	6,341
अंतिम शेष	4,002	4,572	17,494	21,036	16,090
निवल जोड़	514	570	12,922	3,542	(-)4,946
सहकारी शुगर मिलों को संवितरित और वसूले गए ऋण					
प्रारंभिक शेष	882	1,029	1,213	1,869	2,111
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	150	190	646	252	200
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	3	6	-	-	7
अंतिम शेष	1,029	1,213	1,869	2,111	2,304

वर्ष के दौरान ₹ 6,340.93 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 206.87 करोड़ हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक से वसूल किए गए थे तथा ₹ 93.19 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों से ₹ 6,007.49 करोड़ वसूल किए गए थे। जिसमें से ₹ 5,190 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके वसूल किए गए थे। ऋण और अग्रिमों की वास्तविक वसूली ₹ 1,150.93 करोड़, जोकि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (5.47 प्रतिशत) थी, हालांकि पहले के वर्षों की तुलना में यह अधिक है।

31 मार्च 2017 को सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध ₹ 2,110.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने ₹ 200 करोड़ के नए ऋण वितरित किए और 2017-18 के दौरान केवल ₹ सात करोड़ वसूल किए परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 को कुल ₹ 2,303.90 करोड़ के ऋण बकाया हो गए थे। सहकारी शुगर मिलों को सभी ऋण इस शर्त पर वितरित किए गए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान न करने पर नया

ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। तथापि, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना शुगर मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे।

चूंकि सहकारी शुगर मिलों से इन ऋणों की वसूली बहुत खराब रही है तथा ये ऋण वसूल नहीं किए गए हैं और अनुदान की प्रकृति में हैं। इसलिए इनका ऋण के रूप में लेखांकन करने से राजस्व व्यय का अवकथन तथा पूंजीगत व्यय का अतिकथन हुआ।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों के रूप में ₹ 21,348.75 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 28,046.26 करोड़) से ₹ 6,697.51 करोड़ (24 प्रतिशत) कम थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 16,639.49 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,525.43 करोड़ के ऋण 2017-18 के दौरान उठाए गए थे।

बाजार ऋणों में प्रवृत्तियों के विवरण अनुच्छेद 1.10 में दिए गए हैं।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम 2016-17 में ₹ 1,985.86 करोड़ से ₹ 44.59 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹ 1,941.27 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 141.01 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 185.60 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियां, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.18 में दी गई हैं।

तालिका: 1.18: 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्ति के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति का आधिक्य	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,034.08	3,342.50	1,919.20	2,116.18	1,114.88	1,226.32
बी) आरक्षित निधि	1,593.64	973.29	48.91	153.65	1,544.73	819.64
सी) डिपोजिट	19,488.27	20,577.88	19,490.39	19,924.33	(-)2.12	653.55
डी) अग्रिम	9.09	1.99	9.09	1.99	-	-
ई) उच्यंत तथा विविध	848.36	900.54	731.54	852.20	116.82	48.34
एफ) प्रेषण	7,134.20	8,098.05	7,076.54	8,123.14	57.66	(-) 25.09
कुल	32,107.64	33,894.25	29,275.67	31,171.49	2,831.97	2,722.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)


समेकित सिंकिंग निधि (आरक्षित निधि का एक हिस्सा) में ₹ 811.80 करोड़ की अपेक्षित राशि का योगदान न करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में निवल लोक लेखा प्राप्ति में 3.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडीयां, पेंशन भुगतान पर व्यय) तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन


गत पांच वर्षों (2013-18) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं:



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2013-18) की अवधि में कुल व्यय 89.26 प्रतिशत बढ़ गया। व्यय पिछले वर्ष से 10.54 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2017-18 में मुख्यतः डिस्कॉमज के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण पूंजीगत व्यय 244.04 प्रतिशत बढ़ गया।


2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण 79.77 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2017-18 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 887.47 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ₹ 150 करोड़, सहकारी शुगर मिलों को ₹ 200 करोड़ तथा सरकारी कर्मचारियों को ₹ 121.07 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए थे।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 83.07 प्रतिशत था जो 2016-17 से कम था जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2013-14 में 8.44 प्रतिशत से

2017-18 में 15.35 प्रतिशत तक बढ़ गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2013-14 में 1.67 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 16.69 प्रतिशत हो गया किंतु 2017-18 में 1.58 प्रतिशत तक घट गया।



ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्ष में 27 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 31 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि सामाजिक सेवाओं का हिस्सा जो 2013-14 से 2014-15 के दौरान बढ़ा, 2015-16 से स्थिर रहा। आर्थिक सेवाएं 2016-17 में 38 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 33 प्रतिशत रह गईं। उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जो विकास व्यय को निरूपित करता है, भी इस अवधि के दौरान लगभग 68 से 69 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.19 पांच वर्षों (2013-18) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व व्यय	41,887	49,118	59,236	68,403	73,257
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10	17	21	15	7
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	10	11	12	12	12

2013-18 के दौरान राजस्व व्यय 7 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 31,370 करोड़ (75 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2013-18 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ी।

राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 68,403 करोड़ से 7 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशन (₹ 3,123.79 करोड़) एवं पुलिस सेवाओं (₹ 361.55 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,419.36 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 5,067.88 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 722.52 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 274.03 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 315.44 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास (₹ 1,253.78 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 2,587.85 करोड़ तक बढ़ गया। सब्सिडी पर अधिक

व्यय (₹ 991.14 करोड़) परन्तु विद्युत क्षेत्र को सहायता अनुदान (₹ 3,889.66 करोड़) की कमी के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 2,768.39 करोड़ तक घट गया।

2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ का राजस्व व्यय म.अ.रा.नी.वि. (₹ 79,936 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य चौ.वि.आ. (₹ 56,909 करोड़) के मानक के भीतर राजस्व व्यय को नहीं रख सका, जिसके कारण राज्य राजस्व आधिक्य राज्य नहीं बन पाया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सब्सिडीयों पर व्यय शामिल हैं। 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.20 एवं चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां	11,816 (31)	14,359 (35)	15,294 (32)	17,321 (33)	18,706	18,632*
ब्याज भुगतान	5,850 (15)	6,928 (17)	8,284 (17)	10,542 (20)	11,257	11,961 (19)
पेंशनों पर व्यय	4,169 (11)	4,602 (11)	5,413 (11)	5,659 (11)	6,600	8,783 (14)
सब्सिडी	5,681 (15)	5,693 (14)	6,899 (15)	7,654 (15)	8,443	8,446 (13)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	27,516	31,582	35,890	41,176	45,006	47,822
राजस्व व्यय	41,887	49,118	59,236	68,413		73,257
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	66	64	61	60		65
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	72	77	75	78		76

(स्रोत: वित्त लेखे तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना)

* ₹ 303.50 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 39,072 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 37,892 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,180 करोड़ (3.11 प्रतिशत) अधिक था तथा राजस्व प्राप्तियों का 62 प्रतिशत इन पर उपयोग किया गया था।

वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सब्सिडी पर प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 2017-18 में लगभग 65 प्रतिशत भाग था जबकि यह गत वर्ष में 60 प्रतिशत था।

वेतनों पर व्यय

2013-14 से 2017-18 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 18,632 करोड़) 57.68 प्रतिशत बढ़ गया। 2008-09 से 2016-17 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12.9 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (13.4 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 18,328 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 20,034 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2013-18) की अवधि में 104.46 प्रतिशत (₹ 11,961 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹ 1,419 करोड़ (13.46 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2013-14 में 15.39 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 19.08 प्रतिशत हो गई। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 10,499 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 11,257 करोड़) से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर भुगतान 2013-14 में ₹ 5,681 करोड़ से ₹ 2,765 करोड़ (48.67 प्रतिशत) बढ़कर 2017-18 में ₹ 8,446 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13.47 प्रतिशत था। ₹ 8,446 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 7,624.49 करोड़ (90 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,230 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने या तो बिना ब्याज या प्रचलित ब्याज दरों से कम दर पर ऋण वितरित किया है, जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की गई जैसा कि तालिका 1.21 में वर्णित हैं। इस प्रकार, सब्सिडी, जो प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा है, उस सीमा तक कम वर्णित की गई।

तालिका 1.21: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	आवास सहकारी संस्थाओं को ऋण	3.00	3.00
2.	राजस्व अर्जित करने वाली स्कीमों के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण	0.32	0.32
3.	स्थगित बिक्री कर/वैट की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	30.00	30.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 8,783 करोड़) 110.67 प्रतिशत तक बढ़ गया जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.01 प्रतिशत था। अधिवर्षिता पेंशन: ₹ 622.94 करोड़, पेंशन संराशीकरण: ₹ 891.87 करोड़, ग्रेच्युटी: ₹ 118.90 करोड़ और परिवार पेंशन: ₹ 111.05 करोड़ के लिए पूरक प्रावधानों में वृद्धि के कारण 2017-18 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 5,990 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,600.22 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक हुआ था (**परिशिष्ट 1.6**)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को कम करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

नई पेंशन स्कीम

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के पात्र हैं। स्कीम के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास कर्मचारी योगदान ₹ 479.94 करोड़ और नियोक्ता के हिस्से ₹ 460.44 करोड़ के विरुद्ध ₹ 975.76 करोड़ जमा किए। इस प्रकार, परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए ₹ 19.50⁹ करोड़ का योगदान कम किया गया। **31 मार्च, 2018 को सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य शीर्ष 8342 - अन्य डिपॉजिट, लघु शीर्ष 117 - परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के तहत ₹ 14.54 करोड़ का बकाया शेष था।** इसके शुरू होने के बाद से निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था। असंग्रहित, राज्य सरकार द्वारा देय और अहस्तांतरित राशियां ब्याज सहित बकाया देयताओं को दर्शाती है।

सरकार द्वारा बकाया राशियां, ऐसी ब्याज दर के साथ जो भविष्य निधि की ब्याज दर से कम न हो, जमा करवानी चाहिए।

फलैगशिप स्कीम/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

फलैगशिप स्कीम/कार्यक्रम, राष्ट्र के समावेशी विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को फलैगशिप स्कीमों के लिए 2017-18 के दौरान **तालिका 1.22** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

⁹ ₹ 479.94 करोड़ - ₹ 460.44 करोड़ = ₹ 19.50 करोड़

तालिका 1.22: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान	व्यय			व्यय की प्रतिशतता
			राज्य	केंद्र	कुल	
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	710.00	224.95	120.02	344.97	49
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)	141.90	45.00	53.21	98.21	69
3	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	302.00	71.13	106.69	177.82	59
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (रा.ग्रा.रो.गा.स्की.)	184.00	32.00	168.77	200.77	109
5	स्वच्छ भारत	275.50	0.00	39.66	39.66	14
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.00	13.50	20.50	34.00	-
7	सर्व शिक्षा अभियान	889.65	265.37	400.70	666.07	75
8	मिड-डे-मील	345.00	140.47	119.95	260.42	75
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	500.00	225.09	211.84	436.93	87
10	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	262.90	74.62	90.73	165.35	63
11	ए.एम.आर.यू.टी. जिसे पहले जे.एन.एन.यू.आर.एम. के नाम से जाना जाता था	500.20	72.17	68.56	140.73	28
12	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	3,398.45	3,560.16	87.50	3,647.66	107
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	562.98	132.75	173.13	305.88	54
	कुल	8,072.58	4,857.21	1,661.26	6,518.47	81

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

फलैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 2017-18 के लिए ₹ 8,072.58 करोड़ के बजट अनुमानों में से राज्य ने ₹ 6,518.47 करोड़ (81 प्रतिशत) उपयोग किए। 13 फलैगशिप स्कीमों में से सात में बजट का उपयोग 70 प्रतिशत से कम था।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	783.66	1,809.77	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,102.96	-
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	1,120.80	744.63	1,045.99	1,585.77	2,466.82	2,466.82	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	1,263.49	1,192.04	1,261.94	2,263.80	2,283.57	2,283.43	(-) 0.01
विकास अभिकरण	523.36	723.72	878.09	757.94	882.54	868.04	(-) 1.64
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	518.83	979.70	1,010.97	1,117.68	1,101.39	1,101.14	(-) 0.02
अन्य संस्थाएं	329.53	656.14	4,584.31	4,791.39	1,019.41	1,021.92	0.25
कुल	4,539.67	6,106.00	10,765.97	12,647.14	9,856.69	9,844.31	(-) 0.13
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	11	12	18	18		13	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.23 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2013-14 में ₹ 4,539.67 करोड़ से 2017-18 के दौरान ₹ 9,844.31 करोड़ तक बढ़ गई जोकि राजस्व व्यय का 13.44 प्रतिशत थी। अन्य संस्थाओं को संवितरण में कमी (₹ 3,769.47 करोड़) के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 2,802.83 करोड़ (22.16 प्रतिशत) घट गई। ₹ 9,856.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9,844.31 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं, विकास एजेंसियों तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.01 और 1.64 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता


राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.24** तथा **चार्ट 1.15**, 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.24: 2013-14 और 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	विकास व्यय [#] / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2013-14	11.7	69.3	37.0	8.4	16.2	3.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	14.7	66.5	37.6	13.6	17.2	4.5
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2017-18	14.5	68.6	35.4	15.4	13.8	3.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	36.7	14.4	15.5	4.9
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा ।						



राजकोषीय प्राथमिकता:

हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2013-14 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 14.5 प्रतिशत हो गया जो सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम था।

विकास व्यय पर प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी। तथापि, 2013-14 की तुलना में 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात घटा और सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था। 2013-14 की तुलना में 2017-18 में शिक्षा पर व्यय का अनुपात घट गया और वह सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था। स्वास्थ्य पर व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्य औसत से कम था।

डिस्कॉमज के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2017-18 में पूंजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात बढ़ा है।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा अत्यावश्यक लोकहितार्थ कार्यों को महत्व देना आवश्यक है। व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से अनुपात और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा आंकी जाती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर ऋणों एवं अग्रिमों सहित, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय को विकास व्यय में शामिल माना जाता है। तालिका 1.25, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.26 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	32,300 (69)	36,180 (67)	59,652 (75)	57,258 (72)	66,881	60,499 (69)
क) विकास राजस्व व्यय	28,154 (60)	32,208 (60)	40,229 (51)	46,348 (58)	55,156	46,168 (52)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	3,653 (8)	3,425 (6)	6,448 (8)	6,464 (8)	10,501	13,057 (15)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	493 (1)	547 (1)	12,975 (16)	4,446 (6)	1,224	1,274 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विकास व्यय 87.30 प्रतिशत बढ़ गया। यह व्यय, जोकि कुल व्यय का 69 प्रतिशत था, 2016-17 में ₹ 57,258 करोड़ से ₹ 3,241 करोड़ (5.66 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के साथ 2017-18 में बढ़कर ₹ 60,499 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों का विकास व्यय में क्रमशः 76 तथा 2 प्रतिशत हिस्सा था जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 22 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को कम ऋण संवितरण करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,172 करोड़ घट गए। ₹ 66,881 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 60,499 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 90.46 प्रतिशत है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2016-17			2017-18		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.013	66.51	0.19	0.033	69.46	0.09
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.080	48.31	0.09	0.090	46.82	0.18
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.183	14.19	6.53	0.278	11.10	5.47
कुल (सा.से.)	0.071	50.88	1.73	0.124	49.76	1.61
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.141	34.22	1.43	0.331	32.00	1.18
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.396	9.05	12.78	0.400	4.97	10.65
विद्युत एवं ऊर्जा	0.153	0.02	-*	0.417	0.02	-
परिवहन	0.360	41.38	3.33	0.380	45.68	3.04
कुल (आ.से.)	0.218	12.50	1.80	0.394	15.45	1.87
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.149	32.29	1.76	0.261	35.46	1.72

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व र.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 0.071 से बढ़कर 2017-18 में 0.124 हो गया। कुल व्यय से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 0.149 से बढ़कर 2017-18 में 0.261 हो गया, जो कि मुख्य रूप से डिस्कॉम ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण है।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2016-17 में 50.88 प्रतिशत से 2017-18 में 49.76 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा भी 2016-17 में 1.73 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.61 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2016-17 में 12.50 प्रतिशत से 2017-18 में 15.45 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2016-17 में 1.80 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 1.87 प्रतिशत हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में संयुक्त रूप से वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2016-17 में 32.29 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 35.46 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2016-17 में 1.76 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.72 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटे (और ऋण) को न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को निवेशों पर पर्याप्त आमदनी और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने चाहिए न कि उन्हें बजट पर अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में डाला जाए। वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2018 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2017-18 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 125.87 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 20 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 379.26 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 284.55 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2018 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.27 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2018 को पहले ही समाप्त हो चुकी थीं।

तालिका 1.27: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2018 तक कुल व्यय
सिंचाई	2	11.21	-	7.84
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	23	351.99	-	159.30
कुल	25	363.20	-	167.14

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 25 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि जून 2016 और मार्च 2018 के मध्य थी, परन्तु ये मार्च 2018 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 167.14 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने न केवल व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2018 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 17,374.35 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.28)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.086 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2013-18 के दौरान अपने उधारों पर 8.78 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.28: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर संचित निवेश (₹ करोड़ में)	7,378.87	7,500.22	9,372.44	11,371.42	13,004.56	17,374.35
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	6.49	5.80	15.89	5.89	7.12	7.53
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.09	0.08	0.17	0.05	0.05	0.04
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.83	9.33	8.64	8.00	8.05	8.10
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.74	9.25	8.47	7.95	8.00	8.06
सरकारी उधारों पर ब्याज दर और निवेश पर रिटर्न के मध्य अंतर (₹ करोड़ में)	718.70	693.77	793.85	904.03		1,400.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

गत पांच वर्षों में निवेश पर आमदनी और सरकार की ऋण लागत के अंतर के हिसाब से सरकार को निवेश पर ₹ 4,510.72 करोड़ की अनुमानित आमदनी की हानि हुई। सरकार को सा.क्षे.उ. के पुनरुद्धार अथवा बंद करने के लिए एक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा निवेश 2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि में 135.46 प्रतिशत बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2013-14 में ₹ 6.49 करोड़ से 2017-18 में ₹ 7.53 करोड़ तक बढ़ गए। दूसरी ओर सरकार ने अपने उधारों पर 2013-18 के दौरान 8 से 9.83 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.04 और 0.17 के बीच रही।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 5,755.08 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 5,454.44 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे। इस प्रकार इन चार कंपनियों में कुल निवेश ₹ 16,000.41 करोड़ हो गया जो कि कुल निवेश का 92 प्रतिशत था।

₹ 13,392.99 करोड़ के कुल निवेश वाली 13 सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 30,946.75 करोड़ थी (परिशिष्ट 1.7)। तीन¹⁰ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 30,309.69 करोड़ की

¹⁰ 2016-17 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 16,078.07 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,951.74 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 279.88 करोड़)।

हानियों में सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत हिस्सा था।

राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान पाँच घाटे वाली कंपनियों में 5,473.78 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार राज्य के सा.क्षे.उ., जो बड़ी हानियां उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार कर सकती है, उनके पुनरुद्धार या बंद करने के लिए, जैसा भी मामला हो, एक रणनीतिक योजना तैयार कर सकती है।

उदय के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) का वित्तीय बदलाव

भारत सरकार ने नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ की। उदय डिस्कॉमज को वित्तीय और परिचालन रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को कुल डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा आहरण करना था, जो कि 30 सितंबर, 2015 तक ₹ 34,600 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत ऋण और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आहरित किया जाना था।

राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (₹ 34,600 करोड़ का 75 प्रतिशत) का ऋण आहरण किया। 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ का ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले ऋणदाता बैंकों को बाँपड जारी करके लिया गया और राशियों को अनुदान के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार ने वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) और डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में मान्यता दी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, राज्य सरकार ने ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में अत्यधिक वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बाँपडों पर ब्याज के रूप में ₹ 2,126.85 करोड़ का भुगतान किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत तक चार उपक्रमों में ₹ 7,782.28 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था, परंतु जिनके खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। हरियाणा रोडवेज आठ वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 29 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।

राज्य सरकार का तीन¹¹ विभागीय उपक्रमों में ₹ 7,763.49 करोड़ का कुल निवेश था, जिनकी संचित हानि ₹ 492.31 करोड़ थी।

¹¹ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़, हरियाणा रोडवेज: ₹ 228.46 करोड़ तथा खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 263.84 करोड़।

1.8.5 सरकारी एवं निजी सांझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार ने सरकारी एवं निजी सांझेदारी माध्यम को अपनाया।

13 सरकारी एवं निजी सांझेदारी परियोजनाओं (परिशिष्ट 1.9) में से चार परियोजनाएँ पूरी हुईं और ₹ 6,059.58 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली नौ परियोजनाएँ 31 मार्च 2018 तक कार्यान्वयन अधीन थीं।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.29, 31 मार्च 2018 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति के साथ तीन वर्षों में हुई ब्याज प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 1.29: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमाणा	2015-16	2016-17	2017-18	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	4,572	17,494		21,036
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	13,250	4,515	1,326	1,395
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	328	973	5,964	6,341
अंतिम शेष	17,494	21,036		16,090
का बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	5,187	4,667		16,090
निवल बढ़ोतरी	12,922	3,542	(-)4,638	(-)4,946
ब्याज प्राप्तियां	47	1,213	980	1,163
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.43	6.30	5.24	6.27
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	6.86	7.20	7.94	7.29
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.43	0.90	2.70	1.02

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

31 मार्च 2018 को बकाया ऋण और अग्रिमों में वर्ष के दौरान डिस्काँम ऋणों की ₹ 5,190 करोड़ की राशि को इक्विटी में बदलने के कारण 23.5 प्रतिशत की गिरावट आई। ₹ 2,110.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2017-18 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। फिर भी, इन शुगर मिलों को ₹ 200 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रांसमिशन और वितरण सेवाओं के लिए बिजली परियोजनाओं के लिए ₹ 887.48 करोड़ के नए ऋण दिए गए थे। 2015-16 और 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड्स के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,126.85 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के नकद शेषों और उसके निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.30 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2018 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	426.19	(-)490.11
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	426.73	(-)489.57
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,554.85	2,084.53
कुल (ए)	2,981.58	1,594.96
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.92	2.81
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,673.64	2,819.57
कुल (बी)	2,676.68	2,822.50
कुल योग (ए) + (बी)	5,658.26	4,417.46

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 5,658.26 करोड़ से घटकर ₹ 4,417.46 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 2,554.85 करोड़ से घटकर ₹ 2,084.53 करोड़ हो गए। चिन्हित आरक्षित निधि शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2017 को ₹ 2,673.64 करोड़ से ₹ 145.93 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2018 को ₹ 2,819.57 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से समेकित सिंकिंग फंड (₹ 133.46 करोड़) और गारंटी रिडेम्प्शन फंड (₹ 89.90 करोड़) में बढ़ोतरी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 77.43 करोड़) में कमी के कारण था।

वर्ष 2017-18 के लिए नकद शेष राशि, ₹ 5,527.08 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधियों के बराबर नहीं थी, जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 94.89 करोड़ का ब्याज वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 161.32 करोड़) से ₹ 66.43 करोड़ तक घट गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2017-18 के दौरान ₹ 79.48 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम लिया गया था। 2017-18 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹ 0.02 करोड़ का भुगतान किया गया था। यद्यपि वर्ष 2017-18 के आरंभ में नकद शेष निवेश खाते में ₹ 2,554.85 करोड़ का शेष उपलब्ध था, सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान 7.26 और 8.45 प्रतिशत के मध्य ब्याज दर पर बाजार से ₹ 16,639.49 करोड़ की राशि के ऋण लिए। अंतिम शेष ₹ 2,084.53 करोड़ था।

1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख मध्यस्थ लेखा शीर्ष को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2018 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत वर्ष की तदनुसूची स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। जबकि देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2013-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.31** तथा **चार्ट 1.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.31: 2013-14 से 2017-18 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंतरिक ऋण	58,143	68,797	99,660	1,22,617	1,37,813
केंद्र सरकार से ऋण	2,151	2,128	2,049	1,986	1,941
लोक लेखा देयताएं	15,969	17,521	19,009	21,768	24,322
कुल	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
वृद्धि दर	17.66	15.97	36.49	21.25	12.10
ब्याज भुगतान	5,850	6,928	8,284	10,542	11,961
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	200.63	216.78	253.84	278.82	261.71
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	1.36	2.18	2.20	2.05	0.62
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	19.10	20.24	24.85	26.84	26.97



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2013-14 में ₹ 76,263 करोड़ से 115.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ हो गई इसके मुख्य कारण लोक ऋण (₹ 79,670 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 8,353 करोड़) में वृद्धि थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही जोकि 2013-14 में 19.10 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 26.97 प्रतिशत हो गई। 2017-18 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.27 गुणा थी। वर्ष 2017-18 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 11,961 करोड़ (राजकोषीय देयताओं का 7.29 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,64,076 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2017-18 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 1,41,854 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करने के पश्चात राजकोषीय देयताएं तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात 26.97 प्रतिशत पर चौ.वि.आ. के 20.45 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण से अधिक था।

1.9.3 आरक्षित निधि

राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 आरक्षित निधियां परिचालित की गई जैसा कि वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिया गया है। 'औद्योगिक विकास निधि' नामक एक निष्क्रिय आरक्षित निधि वर्ष के दौरान बंद की गई थी। विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित नौ आरक्षित निधियां थी।

2017-18 के प्रारंभ में आरक्षित निधि ₹ 4,707.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 973.29 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 153.65 करोड़ के वितरण के बाद अंतिम शेष ₹ 5,527.08 करोड़ का था।

1.9.3.1 समेकित सिंकिंग निधि

राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के भुगतान के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग निधि स्थापित की। 1 अप्रैल 2017 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,641.03 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि में निवेश किया गया और ₹ 133.46 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। कोई संवितरण नहीं किया गया था और निधि का अंतिम शेष ₹ 1,774.49 करोड़ था। निधि के समापन शेष का बुक मूल्य अंकित मूल्य से ₹ 40.89 करोड़ अधिक था।

दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। सरकार ने 2017-18 के लिए समेकित सिंकिंग फंड में अंशदान देने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। इसलिए ₹ 811.80 करोड़ (पिछले वर्ष के अंत में बाजार ऋणों का एक प्रतिशत अर्थात ₹ 81,180 करोड़) का अपेक्षित योगदान निधि में नहीं किया गया था।

1.9.3.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

एक प्रमुख आरक्षित निधि होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 1,621.65 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 254.25 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 84.75 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने

पूर्ववर्ती वर्षों के बकायों सहित निधि में ₹ 500.62 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। निधि के निवेश पर ₹ 6.59 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। राज्य सरकार ने ₹ 123.54 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध निधि में अनिवेशित शेष राशि पर वर्ष के दौरान ₹ 89.56 करोड़ का ब्याज प्रदान किया। अतः निधि को ₹ 33.98 करोड़ कम ब्याज मिला। विभागीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित ₹ 14.58 करोड़ की राशि भी वर्ष 2017-18 के दौरान निधि को हस्तांतरित कर दी गई। विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में से ₹ 77.90 करोड़ का व्यय किया तथा 2017-18 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 2,155.10 करोड़ था।

'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि' के संविधान और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों की धारा 18 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा रा.आ.प्र.नि. के निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाना था। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में निधि को योगदान दिया गया था, कोई निवेश नहीं किया गया, जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

1.9.3.3 खान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि

यह निधि हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना द्वारा खनन क्षेत्र का पर्यावरण अनुरूप विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य में खनन स्थलों के पुनर्वास और पुनरुद्धार तथा क्षेत्र की एकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों का बीड़ा उठाने के लिए स्थापित की गई थी। निधि को बिना ब्याज की आरक्षित निधि के अंतर्गत खोला गया था जबकि इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए। 31 मार्च को वित्त विभाग द्वारा निधि में ₹ 3.15 करोड़ प्रदान किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास पर व्यय निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

1 अप्रैल 2017 को ₹ 55.02 करोड़ का आरंभिक शेष निधि में पड़ा था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेड रेंट/रायल्टी/संविदा धन के लिए ठेकेदार से ₹ 468.86 करोड़ की राशि और रियायत धारियों से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 42.53 करोड़ की राशि प्राप्त की। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अंशदान करना होता है। ₹ 23.44 करोड़ (₹ 468.86 करोड़ का पाँच प्रतिशत) और ₹ 42.53 करोड़ 'अन्य प्रभारों' को मिलाकर ₹ 65.97 करोड़ निधि में हस्तांतरित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में ₹ 52.50 करोड़ हस्तांतरित किए। अतः ₹ 13.47 करोड़ का कम योगदान है। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.30 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ब्याज के रूप में ₹ 3.15 करोड़ जमा किए गए थे जिससे निधि को ₹ 0.15 करोड़ का कम ब्याज मिला। वर्ष के दौरान निधि से केवल ₹ 0.01 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके आरंभ अर्थात् जुलाई 2015 से मार्च 2018 तक सरकार द्वारा राज्य में खनन स्थलों के विकास बहाली और पुनर्वास के लिए निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था। वर्ष 2017-18 के अंत में निधि में शेष ₹ 110.66 करोड़ था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था।

1.9.3.4 गारंटी रिडंपशन निधि


सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2002-03 में गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा

आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि में हस्तांतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को ₹ 1,042.78 करोड़ का शेष था (₹ 8,260 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 12.62 प्रतिशत) जोकि निवेशित रहा। सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 14.17 करोड़ का योगदान निवेश पर अर्जित ₹ 75.73 करोड़ के ब्याज सहित निधि में दिया। 2017-18 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,78,263 करोड़ (₹ 1,64,076 करोड़ + ₹ 14,187 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 29.30 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 89.90 करोड़ की निधियां सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी। निधि के अंतिम शेष का बुक मूल्य, अंकित मूल्य से ₹ 56.91 करोड़ अधिक था।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं


राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की सूरत में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और कुल प्राप्तियों की बकाया गारंटियों की स्थिति चार्ट 1.17 और 1.18 में दी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2017-18 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2018 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 14,187 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 4,204 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 857 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 9,126 करोड़) के संबंध में थी।



चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया गारंटी राज्य की कुल प्राप्तियों का 30 प्रतिशत थी जोकि अन्य राज्यों जैसे कि राजस्थान (8 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (5 प्रतिशत) से बहुत अधिक थी। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अंतर्गत एक सीमा तय करने के लिए विचार किया जा सकता है।

1.10 ऋण प्रबंधन


तालिका 1.32 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04
2017-18	1,22,616.87	21,348.75	6,153.25	1,37,812.37	15,195.50	12.39

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

बाजार ऋण राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें ब्याज दर 7.26 से लेकर 8.45 प्रतिशत तक है। 2017-18 में राज्य सरकार ने ₹ 16,640 करोड़ (₹ 21,270 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण में से) के नए बाजार ऋण लिए। ₹ 6,074 करोड़ के आंतरिक ऋण के कुल पुनर्भुगतान में से ₹ 800 करोड़ का पुनर्भुगतान बाजार ऋणों का था। 31 मार्च 2018 को ₹ 1,37,812 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण में से ₹ 97,020 करोड़ के बाजार ऋण थे। वर्ष के दौरान बाजार ऋण की निवल वृद्धि 19.51 प्रतिशत (₹ 15,840 करोड़) थी।



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 48,681 करोड़ से ₹ 89,132 करोड़ (183 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2017-18 में बढ़कर ₹ 1,37,812 करोड़ हो गया। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का संकेत देते हैं। यह सैक्शन बकाया ऋण वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.33, 2013-14 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.33: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण	60,293.96	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73	1,39,753.64
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	19.02	17.63	43.40	22.51	12.16
स.रा.घ.उ.	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण	15.10	16.23	20.94	22.85	22.97
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक ऋण का आ.शे.+लोक ऋण का अं.शे./2)	8.92	9.14	7.61	8.17	8.08
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	13.02	14.70	13.81	17.61	17.04
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	46.69	43.62	18.99	18.73	29.50
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण #	4,687	4,633	24,217	13,647	4,469
ऋण प्राप्ति के प्रतिशत के अनुसार उपलब्ध निवल ऋण	26.62	24.57	63.73	48.45	20.80

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्ति से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण का ब्याज भुगतान का आधिक्य राज्य के पास उपलब्ध शुद्ध ऋण है।

2013-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 131.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 में ₹ 60,294 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 1,39,754 करोड़ हो गए। 2013-14 से 2017-18 की अवधि पर वृद्धि की दर 12.16 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक ऋण में 2017-18 में 12.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जोकि गत वर्ष में 22.51 प्रतिशत थी।

2013-18 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.34: उधार ली गई निधियों का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	राजस्व व्यय (प्रतिशतता)
2013-14	17,604.16	7,968.47 (45)	3,924.71 (22)	513.76 (3)	5,197.22 (30)
2014-15	18,858.75	8,227.41 (44)	3,696.79 (20)	570.05 (3)	6,364.50 (33)
2015-16	37,998.43	7,214.68 (19)	6,878.35 (18)	12,922.01 (34)	10,983.39 (29)
2016-17	28,169.52	5,275.84 (19)	6,836.83 (24)	3,541.68 (13)	12,515.17 (44)
2017-18	21,489.76	6,338.85 (29)	8,308.03 (39)	243.96 (1)	6,598.92 (31)
कुल	1,24,120.62	35,025.25 (28)	29,644.71 (24)	17,791.46 (14)	41,659.20 (34)

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, सरकार राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर निर्भर रही। 2017-18 के दौरान, ₹ 6,599 करोड़ का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 31 प्रतिशत है।

2013-18 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को चार्ट 1.22 में दर्शाया गया है।




स्रोत: वित्त लेखे

2013-18 के दौरान, स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण की वार्षिक वृद्धि दर अधिक थी जैसा कि चार्ट 1.23 में दर्शाया गया है।

राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2013-14 में 13.02 प्रतिशत था जोकि 2017-18 में बढ़कर 17.04 प्रतिशत (चार्ट 1.24) हो गया जो दर्शाता है कि लोक ऋण


पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।



ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

ऋण परिपक्वता प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

चार्ट 1.25: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल




स्रोत: वित्त लेखे

मार्च 2018 तक कुल बकाया ऋण ₹ 1,39,869.21¹² करोड़ था। 31 मार्च 2018 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 58 प्रतिशत (₹ 80,976 करोड़) सात साल तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और बाकी ₹ 58,893 करोड़ (42 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।

¹²

मैच्योरिटी प्रोफाइल और शेषों के मध्य ₹ 115.57 करोड़ का अंतर है जो मिलान के अधीन था।

ब्याज के साथ बाजार ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 1.26 में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2018 तक बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋणों की समाप्ति हो रही है।

राज्य द्वारा 2022-23 तक पांच वर्षों में ₹ 27,432 करोड़ के बाजार ऋण (31 मार्च 2018 को कुल बकाया बाजार ऋणों का 28 प्रतिशत) के साथ-साथ ₹ 37,100 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। ₹ 69,586 करोड़ का शेष बाजार ऋण (31 मार्च 2018 को कुल बकाया बाजार ऋणों का 72 प्रतिशत) अनुवर्ती पांच वर्ष की अवधि में 2027-28 तक ₹ 14,194 करोड़ के ब्याज के साथ चुकाना होगा।



इसका अर्थ यह है कि राज्य को अगले पांच वर्षों में वर्तमान बाजार ऋणों का सालाना ₹ 12,906 करोड़ का पुनर्भुगतान करना होगा जो पाँच वर्षों की अनुवर्ती अवधि में प्रतिवर्ष ₹ 16,756 करोड़ हो जाएगा, जबकि बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान स्तर वर्तमान में ₹ 7,766 करोड़ है। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से बहुत कम हैं और राज्य को अपनी ऋण देयताओं के प्रबंधन के लिए अधिक निधियां उधार लेनी होगी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.27 तथा चार्ट 1.28 2013-18 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व घाटा जो 2016-17 के दौरान ₹ 15,906 करोड़ था घटकर ₹ 10,562 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा ₹ 11,125 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था। 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत था।

तथापि, ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 26,285 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹ 19,114 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली ऋण आहरण करने के लिए 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव) तक कम हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.84 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)। बल्कि उदय स्कीम के अंतर्गत आहरित ऋण को अनदेखा करने पर भी वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 2.79 प्रतिशत था जोकि म.अ.वि.नी.वि. में नियत की गई 2.61 प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

- **प्राथमिक घाटा** जो 2013-14 में 2,464 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया (2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ के बांड और 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली ऋण आहरित करने के लिए) प्राथमिक घाटा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व दर्शाता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।
- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां किस हद तक पूंजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2017-18 में, राज्य ने ₹ 7,780 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। यह पूंजीगत व्यय का 57 प्रतिशत था अर्थात् इस सीमा तक प्राथमिक राजस्व शेष पूंजीगत व्यय (₹ 13,538 करोड़) के लिए उपलब्ध था।

राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व और राजकोषीय घाटों को क्रमशः ₹ 878.20 करोड़ और ₹ 1,987.82 करोड़ कम दिखाया गया इसका कारण समेकित सिंकिंग निधि में योगदान न करना, ब्याज के अल्प समायोजन और निर्धारित राशि को व्यय के लिए उपयोग करना है जैसा कि तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.35: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		शुद्ध प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.	आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.
नई पेंशन स्कीम में कम योगदान	19.50	19.50				
समेकित सिंकिंग निधि में योगदान न करना	811.10	811.10				
खदान और खनिज विकास बहाली और पुनर्वास निधि में कम योगदान	13.47	13.47				
खदान और खनिज विकास बहाली और पुनर्वास निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	0.15	0.15	1.74	3.14	1.88	3.47
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	33.98	33.98				
निर्धारित निधियों का व्यय के लिए उपयोग	-	1,109.62				
कुल	878.20	1,987.82				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त कारणों से राज्य सरकार का राजस्व और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ। राजकोषीय घाटा 0.14 प्रतिशत प्वाइंट तथा राजकोषीय घाटा 0.33 प्रतिशत प्वाइंट कम दर्शाया गया है।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

तालिका 1.36 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2017-18 के दौरान राजकोषीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.37 में दिए गए हैं।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285	(-)19,114
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679	(-)15,906	(-)10,562
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878	(-)6,837	(-)13,498
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 514	(-) 570	(-) 12,922	(-)3,542	4,946
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार ऋण	10,621.36	12,372.99	13,168.29	15,358.98	15,839.49
2 भा.स. से ऋण	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91	(-)63.06	(-)44.59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	28.07	707.45	1,012.11	(-)947.05	(-)954.14
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)1,186.82	(-)2,426.12	16,682.26	8,544.81	310.15
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	720.99	1,041.05	1,048.64	1,114.88	1,226.32
6 आरक्षित निधि	2.29	38.97	70.72	1,646.31	673.72
7 जमा एवं अग्रिम	1,086.43	471.42	369.27	(-)2.12	653.55
8 उचंत एवं विविध	(-) 3,948.95	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78
9 प्रेषण	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66	(-)25.09
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	7,496.20	13,314.43	30,670.04	27,445.25	18,198.19
11 नकद शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47	(-)1,160.13	916.30
12 सकल राजकोषीय घाटा	8,314	12,586.05	31,479.51	26,285.12	19,114.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

तालिका 1.37: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार ऋण	16,639.49	800.00	15,839.49
2 भा.स. से ऋण	141.01	185.60	(-)44.59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां		954.14	(-)954.14
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,629.78	4,319.63	310.15
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,342.50	2,116.18	1,226.32
6 जमा और अग्रिम	20,579.87	19,926.32	653.55
7 रिजर्व निधियां	1,050.73	377.01	673.72
8 उचंत एवं विविध	80,453.32	79,934.54	518.78
9 प्रेषण	8,098.05	8,123.14	(-)25.09
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,34,934.75	1,16,736.56	18,198.19
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Dr.426.73	Cr.489.57	916.30
12 कुल राजकोषीय घाटा	1,35,361.48	1,16,246.99	19,114.49

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2017-18 में राजकोषीय घाटा काफी हद तक बाजार ऋण (83 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (छ: प्रतिशत) और बाकि अन्य स्रोतों से पोषित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.38) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2013-14	38,284	36,037	3,935 (9.66)	776	40,748	2,247	(-) 2,464
2014-15	41,091	42,190	3,716 (7.95)	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908 (9.71)	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195
2016-17	53,496	57,861	6,863 (9.91)	4,515	69,239	(-) 4,365	(-) 15,743
2017-18	69,076	61,296	13,538 (17.76)	1,395	76,229	7,780	(-)7,153

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्राथमिक व्यय से पूंजी व्यय का प्रतिशत इंगित करते हैं)

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्ति और ऋण एवं अग्रिम की वसूली शामिल है जो 2013-14 से 2017-18 तक 80.43 प्रतिशत बढ़ी और 2017-18 के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 में ₹ 2,247 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्राथमिक राजस्व घाटे में बदल गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान स्थिति फिर से बदल कर प्राथमिक राजस्व अधिशेष हो गई जो कि ₹ 7,780 करोड़ थी।
- प्राथमिक घाटा जो 2013-14 में ₹ 2,464 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया, 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ तथा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 3,875 (47)	(-) 8,319 (66)	(-) 11,679 (37)	(-)15,906 (61)	(-)10,562 (55)
निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,925 (47)	(-) 3,697 (29)	(-) 6,878 (22)	(-)6,837 (26)	(-)13,498 (71)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 514 (6)	(-) 570 (5)	(-) 12,922 (41)	(-)3,542 (13)	4,946
राजकोषीय घाटा	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479	(-)26,285	(-)19,114

कोष्ठकों में आंकड़े राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता इंगित करते हैं

वर्ष के दौरान, 2016-17 की तुलना में राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार हुआ है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 61 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 55 प्रतिशत हो गया। फिर भी राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का उच्च अनुपात इंगित करता है कि वर्तमान व्यय का एक बड़ा हिस्सा उधार ली गई निधियों से पूरा किया जा रहा है। 2017-18 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता राजकोषीय घाटे के 71 प्रतिशत तक बढ़ गई। तथापि, निवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि डिस्कॉमज के ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण है जो कि खातों की विंडो ड्रेसिंग के समान है क्योंकि सरकार द्वारा वास्तविक निवेश नहीं किया गया और वास्तव में विफल लागत है।

चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.14 प्रतिशत था।

1.12 निष्कर्ष

राज्य, राजकोषीय सुधार पथ पर है। तथापि, राज्य ने अभी तक रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया है जैसाकि चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित किया गया है। यह राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे की मात्रा में गिरावट आई है। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत से घटकर 2017-18 के दौरान 17 प्रतिशत रह गया।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2016-17 में स.रा.घ.उ. के 2.89 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,068.82 करोड़ की प्राप्तियां 2011-17 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2017-18 के दौरान चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय ने राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,446 करोड़) का 90 प्रतिशत (₹ 7,624 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 6,675 करोड़ (97 प्रतिशत) तक बढ़ गया। इसका मुख्य कारण उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में बदलना था। 2016-17 तक तीन डिस्कोमज की संचित हानियां ₹ 30,310 करोड़ थी।

राजस्व घाटा 2016-17 में ₹ 15,906 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 10,562 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2016-17 में क्रमशः ₹ 26,285 करोड़ और ₹ 15,743 करोड़ रही, 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ (73 प्रतिशत) और ₹ 7,153 करोड़ (45 प्रतिशत) तक कम हो गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को ₹ 1,64,076 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 26.97 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.62 गुणा थी।

2017-18 की समाप्ति पर ₹ 4,417 करोड़ का नकद शेष ₹ 5,527 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने एस.डी.आर.एफ. और खदानों एवं खनिजों के रेस्टोरेशन और पुनर्वास के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,266 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक ₹ 2,407 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2016-17 में ₹ 1,22,617 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के दौरान ₹ 1,37,813 करोड़ (12.39 प्रतिशत) हो गए। 2017-18 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 10,578 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2017-18 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

अध्याय 2


वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्च के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक हैं।

विनियोजन लेखा बजट बनाने की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन (चार्ट 2.1) से संबंधित गतिविधियों का समावेश है।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

2017-18 में व्यय के लिए कुल प्रावधान ₹ 1,24,990.40 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,02,962.69 करोड़ (82 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 में ₹ 22,027.71 करोड़ की बचत¹ हुई। विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	69,002.94	5,646.83	74,649.77	61,359.29	(-) 13,290.48
	II पूंजीगत	21,460.31	5,165.85	26,626.16	21,663.85	(-) 4,962.31
	III ऋण एवं अभिम	1,326.07	277.77	1,603.84	1,394.89	(-) 208.95
कुल दत्तमत		91,789.32	11,090.45	1,02,879.77	84,418.03	(-) 18,461.74
भारित	IV राजस्व	11,432.02	633.64	12,065.66	12,131.71	(+) 66.05
	V पूंजीगत	100.00	0.00	100.00	74.10	(-) 25.90
	VI लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9,944.97	0.00	9,944.97	6,338.85	(-) 3,606.12
कुल भारित		21,476.99	633.64	22,110.63	18,544.66	(-) 3,565.97
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		1,13,266.31	11,724.09	1,24,990.40	1,02,962.69	(-) 22,027.71


नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 233.64 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 8,200.04 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 11,724.09 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का 10 प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में चार प्रतिशत था।

¹ बचत वह पारिभाषिक शब्द है जो उस राशि को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बजट प्रावधानों में से खर्च नहीं की जा सकी।

2.2.1 विनियोजन लेखा 2017-18 का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को कैसे कार्यान्वित किया गया था



स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 43 अनुदानों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 15 अनुदानों, पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 25 अनुदानों, पूंजीगत (भारित) खंड के अंतर्गत दो अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचतों तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 6-वित्त (₹ 375.60 करोड़), राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 6-वित्त (₹ 73.88 करोड़), पूंजीगत (भारित) के अंतर्गत अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 91.12 करोड़) में ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल आधिक्य अथवा बचत

विवरण	अनुदानों/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत	43	15	25	2	1	22,568.31
अधिक व्यय	1	1	1	-	-	540.60

स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान परिशिष्ट 2.2 में सूचीबद्ध हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए ब्यौरे अनुसार छः मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 16.96 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। परंतु, वर्ष 2016-17 हेतु ₹ 256.98 करोड़ की राशि का अधिक व्यय लोक लेखा समिति द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

यह विधायी मंशा के विपरीत है और सार्वजनिक धन के उपयोग पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पराजित करता है। इस प्रकार लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय को नियमित न करवाने को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह सरकारी खजाने पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है और इसलिए अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।

2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा में पाया गया कि 33 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी (**परिशिष्ट 2.2**)। ₹ 98,613.21 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 76,992.85 करोड़ था तथा बचतें ₹ 21,620.36 करोड़ थीं। 10 अनुदानों शीर्षक- 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 24-सिंचाई (राजस्व दत्तमत), 27- कृषि (राजस्व-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व दत्तमत), 36-गृह (राजस्व दत्तमत), 40-ऊर्जा एवं विद्युत (राजस्व दत्तमत), 8-भवन एवं सड़कें (पूंजीगत-दत्तमत), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूंजीगत-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थीं।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 15 अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत)						
1	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	280.85 (51)	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)
2	09-शिक्षा	1,818.31 (21)	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)	2,345.71 (17)
3	11-खेल एवं युवा कल्याण	56.33 (31)	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)
4	13-स्वास्थ्य	279.74 (14)	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)	434.07 (12)
5	14-शहरी विकास	118.37 (62)	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)
6	15-स्थानीय शासन	589.57 (27)	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)
7	17-रोजगार	25.61 (33)	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	24.32 (13)	24.00 (11)	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.ओ.सी.बी. को का कल्याणसंख्यअल्प	140.96 (30)	95.10 (26)	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)
10	21-महिला एवं बाल विकास	157.81 (22)	195.08 (22)	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	185.52 (51)	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)	311.20 (54)
12	27-कृषि	256.92 (24)	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	345.36 (16)	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)
पूंजीगत (दत्तमत)						
14	21-महिला एवं बाल विकास	193.87 (99)	163.97 (74)	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)
15	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	137.28 (11)	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)
पूंजीगत (भारित)						
16	लोक ऋण	5,027.64 (38)	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2017-18 के दौरान 16 विकास स्कीमों (वेतन/स्थापनाओं से पृथक) में ऊपर उल्लिखित अनुदानों के अंतर्गत बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4: उन मामलों के विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
1.	अनुदान संख्या 9-शिक्षा				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान	741.38	452.30	289.08	39
(ii)	सामान्य शिक्षा 2202, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109सरकारी माध्यमिक विद्यालय-, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	400 ² .00	227.14	172.86	43
2.	15-स्थानीय शासन				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता/, 86- नया शहरी नवीनीकरण मिशन	440.00	123.50	316.50	72
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता/, 87-स्मार्ट सिटी	800.00	204.00	596.00	75
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता/, 92-स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर समितिपरिषद तक / स्थानीय निकायों में योगदान	314.60	96.58	218.02	69
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-जनरल, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 91-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अनुसूचित जाति घटक के लिए अधिभार का हिस्सा	594.00	424.87	169.13	28
3.	19-एस.सी., एस.टी., ओकों का कल्याणसंख्यऔर अल्प .सी.बी.				
(i)	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों के कल्याण, 277-शिक्षा, 99-अनुसूचित जाति के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	325.14	110.23	214.91	66
4.	21-महिला एवं बाल विकास				
(i)	2236-पोषण, 02-पौष्टिक खाद्य और पेय पदार्थों का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	183.30	81.52	101.78	56
5.	23-खाद्य एवं आपूर्ति				
(i)	2408-खाद्य, भंडारण और गोदाम, 01-खाद्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-दाल रोटी स्कीम	300.00	50.91	249.09	83
6.	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	400.00	190.17	209.83	52
(ii)	2401-फसल पालन, 111-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, 90-प्रधान मंत्री फासल बीमा	300.00	144.94	155.06	52


क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
	योजना के रूप में नामित संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम				
7.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, 93-इंदिरा आवास योजना मुक्त .टी.एस./सी.के अंतर्गत एस (.आर.एन) बंधुआ श्रमिक के लिए घरों का उन्नयन/निर्माण	125.00	19.54	105.46	84
(ii)	2505-ग्रामीण रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 98- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ श्रमिक के लिए घरों का निर्माणमउन्नयन के लिए स्की/	177.00	26.64	150.36	85
(iii)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (.एस.जी.ई.आर.एन.जी.एम)	284.00	162.49	121.51	43
(iv)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102सामुदायिक विकास-, 93-स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता के लिए स्कीम के रूप में पुननामांकित पूर्ण स्वच्छता : निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत /अभियान ग्रामीणस्वच्छता कार्यक्रम	168.00	28.83	139.17	83
8.	लोक ऋण				
(i)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से ऋण	6,500.00	3,700.00	2,800.00	43

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 2.5.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित परिव्यय में कमी, संशोधित परिव्यय में वृद्धि परंतु कम व्यय, नई स्कीमों में प्रावधान के बावजूद शून्य व्यय आदि शामिल हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 24 मामलों में पूरक प्रावधानों द्वारा प्राप्त कुल ₹ 2,568.14 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया। 14 मामलों में ₹ 2,185.04 करोड़ का पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। दूसरी ओर तीन मामलों में ₹ 2,478.42 करोड़ का पूरक अनुदान अपेक्षाओं को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था और 18 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**चार्ट 2.3**)।

चार्ट 2.3: अनावश्यक, अधिक तथा अपर्याप्त पूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखा

सरकार, बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करने पर विचार कर सकती है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहां बचत होने का अनुमान हो, से दूसरी इकाई जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 34 उप-शीर्षों में ₹ 687.28 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 41 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 787.36 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं (प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक) जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। 20 उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थीं। नौ³ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पूरक प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, एक⁴ मामले में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई निधियों से भी ज्यादा थीं।

2.3.7 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर, 59 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,23,901.46 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,01,938.34 करोड़ था परिणामतः ₹ 22,503.71 करोड़ की बचतों तथा ₹ 540.60 करोड़ के आधिक्य के कारण ₹ 21,963.11 करोड़ की निवल बचतें हुईं, जिसके

³ **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 4, 6, 9, 13, 14, 67, 71, 73 तथा 74

⁴ **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 7

विरुद्ध ₹ 22,731.21 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (**परिशिष्ट 2.5**) जो बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 418.09 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 15 मामलों में ₹ 8,813 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 9,158.16 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे तथा 6-वित्त (राजस्व दत्तमत), (राजस्व भारित) एवं 24-सिंचाई (पूँजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 375.60 करोड़, ₹ 73.88 करोड़ एवं ₹ 91.12 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 11.99 करोड़, ₹ 10.25 करोड़ एवं ₹ 278.19 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से अभ्यर्पित की गईं। 18 मामलों में ₹ 5,052.93 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं थीं। कम अभ्यर्पण तथा अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.8 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय के वेग को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.6** में सूचीबद्ध 15 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2017-18 के दौरान 15 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 11,205.77 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,682.69 करोड़ (32.86 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2018 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय का वेग दर्शाता है कि वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए उपयुक्त उपायों का सूत्रपात करने पर विचार कर सकती है।

2.4 खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} हरियाणा द्वारा 2017-18 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान खजानों के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 खजानों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, छः⁵ ट्रेजरीज से लेखे 17 मामलों (आठ मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा नौ मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) में देरी से प्राप्त हुए थे। 96.85 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ।

⁵ फरीदाबाद, अंबाला, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल तथा नूंह (मेवात)।

2.4.2 खजानों से प्रतीक्षा वाउचर की प्राप्ति में देरी

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 का नियम 3.17, इस बात पर जोर देता है कि ट्रेजरी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में भेजे जाने वाले प्रासंगिक मासिक सिविल खातों से संबंधित सभी वाउचर साथ में संलग्न हैं।

खातों की वाउचरवार पोस्टिंग/सत्यापन (संकलन) करते समय, ₹ 6.88 करोड़ से आवेष्टित 531 वाउचर (1999-2000 और 2014-15 के मध्य श्रृंखलित) अभी भी विभिन्न ट्रेजरी अधिकारियों से मार्च 2018 तक प्रतीक्षित थे और उपर्युक्त इंगित की गई चूकें निरंतर जारी रहीं। मिसिंग वाउचरों के कारण सस्पेंस हेड के अंतर्गत बकाया राशि का ट्रेजरी-वार विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

2.4.3 खजानों से प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब ट्रेजरी नियम और सहायक ट्रेजरी नियम (वॉल्यूम -1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में अग्रिम आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित हैं। लेकिन ₹ 56.95 करोड़⁶ की राशि के 79 आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल अभी वांछित थे।

2.4.4 सामान्य भविष्य निधि के संबंध में भुगतान की सूची के साथ डेबिट वाउचर संलग्न नहीं पाए गए

हर महीने विभिन्न खजानों के कुछ सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) डेबिट वाउचर भुगतान की सूची के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे, जैसे कि डेबिट वाउचरों की कवरिंग सूची। प्रथम स्तर पर भुगतान की सूची में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यक्तिगत जी.पी.एफ. खातों में इंद्राज किया गया था। इन डेबिट वाउचरों की प्राप्ति पर इस कार्यालय के रिकॉर्ड के साथ फिर से सत्यापन करना पड़ता है। यह समस्या लंबी अवधि से विद्यमान है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में मुख्य शीर्ष 8009-104 से संबंधित राशि मुख्य शीर्ष 8009-101 और इसके उल्ट क्रम में बुक की गई थी, जिसके कारण उचित व्यक्तिगत जी.पी.एफ. खाते में अंशदान पोस्ट करने में देरी हुई।

2.4.5 नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्रेषणों में विसंगतियां

हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2008 में नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की हर महीने वेतन से कटौती की जाती है और उतनी ही राशि का योगदान सरकार द्वारा अपने शेयर के रूप में किया जाता है। उसके बाद, संबंधित खजाना अधिकारी कर्मचारी की स्थायी सेवानिवृत्ति

⁶ 2015-16 तक (दो ए.सी. बिल) - ₹ 2.59 करोड़, 2016-17 (आठ ए.सी. बिल) - ₹ 1.51 करोड़ तथा 2017-18 (69 ए.सी. बिल) - ₹ 52.85 करोड़।

खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) में राशि जमा करने के लिए पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के पास जमा कराता है।

यह देखा गया कि खजाना अधिकारी समय पर राशियां एन.एस.डी.एल. को प्रेषण नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जींद ट्रेजरी द्वारा 2016-17 में ₹ 9.32 करोड़ की राशि का एन.पी.एस. अंशदान कम जमा किया गया है।

चूंकि, एन.पी.एस. एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, जहां निवेश केवल एन.एस.डी.एल. के पास राशियां प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। अंशदान के प्रेषण में देरी के कारण कर्मचारियों को उच्चतम रिटर्न नहीं मिल पाती तथा परिणामस्वरूप कर्मचारियों का संचित कोष एवं सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रभावित होते हैं।

2.5 बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ₹ 92,384.38 करोड़ का मूल बजट ₹ 93,685.52 करोड़ तक संशोधित किया गया था। इसके विरुद्ध 2017-18 के दौरान ₹ 88,190.15 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: 2013-18 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	53,073.59	59,451.23	69,140.29	88,781.96	92,384.38
संशोधित अनुमान	53,548.30	61,449.82	85,037.30	84,132.15	93,685.52
वास्तविक व्यय	46,597.31	53,676.27	79,394.32	79,781.44	88,190.15
बचत/आधिक्य	6,950.99	7,773.55	5,642.98	4,350.71	5,495.37

इसी प्रकार, ₹ 74,813 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां ₹ 76,445 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 69,076 करोड़ थीं जैसा तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल बजट	44,098	48,058	52,717	63,666	74,813
संशोधित अनुमान	42,033	45,821	54,642	60,784	76,445
वास्तविक प्राप्तियां	38,284	41,090	47,915	53,496	69,076
कमी/आधिक्य	3,749	4,731	6,727	7,288	7,369

2.5.2 संसाधनों का वास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमान जहां तक संभव हों यथार्थ बनाए जाने चाहिए कि वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी तथा इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्ष के बीत चुके महीनों की वास्तविक प्राप्तियां होंगी। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के विशेष स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी प्रकट करती हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता को मान सकता है। इस प्रकार, अनुमान हमेशा सरकार की प्राप्तियों और व्यय को ध्यान में रखने के पश्चात प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा जहां तक संभव हों यथार्थ होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि कर-भिन्न राजस्व पूर्वानुमानों के लिए 2017-18 का संशोधित अनुमान ₹ 17,023.61 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 14,297.97 करोड़ थी परिणामतः ₹ 2,725.64 करोड़ की अधोमुखी भिन्नता हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए कर राजस्व ₹ 53,061.52 करोड़ पर अनुमानित था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 48,396.90 करोड़ थी परिणामतः पूर्वानुमान से नीचे ₹ 4,664.62 करोड़ की भिन्नता हुई। इस संबंध में गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2013-14	कर राजस्व	30,234.52	28,909.84	1,324.68
	कर-भिन्न राजस्व	11,401.42	9,102.24	2,299.18
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01
2016-17	कर राजस्व	45,087.63	40,623.15	4,464.48
	कर-भिन्न राजस्व	15,239.46	11,873.67	3,365.79
2017-18	कर राजस्व	53,061.52	48,396.90	4,664.62
	कर-भिन्न राजस्व	17,023.61	14,297.97	2,725.64

2.5.3 विकास योजनाओं में कमियां

2017-18 के दौरान विकास स्कीमों के लिए ₹ 39,772.65 करोड़ का संशोधित आकलन किया गया था। विकास स्कीमों पर ₹ 33,551.85 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो उपर्युक्त राशि का 84.36 प्रतिशत तथा पूर्वानुमानों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i) 2017-18 के लिए ₹ 4,105.26 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 25 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में पूर्ण रूप से निकाल दी गई थी (परिशिष्ट 2.8)।
- ii) 2017-18 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 25 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 2,110.83 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 144.93 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.9) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

- iii) अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 15 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 83.73 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.10**)।
- iv) 10 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 167.06 करोड़ का प्रावधान ₹ 290.89 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 37.22 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि मूल अनुमानों का 22 प्रतिशत था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (**परिशिष्ट 2.11**)।
- v) 55 विकास योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2017-18 के दौरान ₹ 4,265.33 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 2,697.74 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,593.43 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित परिव्यय का 59 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.12**)।
- vi) एक योजना, जिसके लिए 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 20 करोड़ तक कम किया गया था, किंतु ₹ 34.95 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 175 प्रतिशत था।
- vii) 56 योजनाएं, जिनके लिए संशोधित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में ₹ 2,066.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था, किंतु ₹ 937.18 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.13** में विवरण दिया गया है।
- viii) तीन योजनाएं, जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु संशोधित अनुमान में ₹ 8.47 करोड़ शामिल किए गए। इन योजनाओं पर किया गया ₹ 2.73 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विवरण दिया गया है।
- ix) दो योजनाएं, जिनके लिए 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 155.03 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 184.53 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था, किंतु ₹ 237.19 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 129 प्रतिशत था जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में विवरण दिया गया है।
- x) पांच नई योजनाएं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 30.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा दो स्कीमों जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान ₹ 2.55 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.12 करोड़ किया गया था किंतु वर्ष 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था जैसाकि (**परिशिष्ट 2.15**) में दर्शाया गया है।
- xi) 12 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 987.08 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,505.53 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,809.85 करोड़ का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 72 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.16**)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या "10-तकनीकी शिक्षा" तथा अनुदान संख्या "24-सिंचाई") के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा संचालित (जुलाई-अगस्त 2018) की गई थी। मूल अनुदान, पूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधता के आयाम का विश्लेषण किया गया।

2.6.1 अनुदान संख्या 10-तकनीकी शिक्षा

2017-18 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- (i) पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए राजस्व दत्तमत खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 2.8 में दी गई है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य का विवरण

वर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
	(₹ करोड़ में)				
2013-14	373.50	शून्य	373.50	294.82	(-) 78.68 (21)
2014-15	491.20	शून्य	491.20	354.12	(-) 137.08 (28)
2015-16	464.72	9.00	473.72	380.25	(-) 93.47 (20)
2016-17	421.42	50.00	471.42	373.23	(-) 98.19 (21)
2017-18	437.84	शून्य	437.84	345.23	(-) 92.61 (21)

- * कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2013-18 के दौरान व्यय प्रक्षेपित बजट प्रावधान से कम रहा तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 20 एवं 28 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत थी। यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे।

- (ii) राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 12 उप-शीर्षों में ₹ 254.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 161.29 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 92.75 करोड़ की बचत हुई। यह दर्शाती है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किए गए थे। **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए विवरणानुसार बचत कुल प्रावधान के 18 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।
- (iii) सात उप-शीर्षों में, **परिशिष्ट 2.18** में दिए गए विवरणानुसार वर्ष 2015-18 के दौरान सतत् बचत कुल प्रावधान के 14 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

- (iv) चार⁷ स्कीमों/शीर्षों के लिए किया गया ₹ 26.01 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 26.01 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वापस कर दिया गया था।
- (v) 10 स्कीमों में ₹ 17.78 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 11.56 करोड़ (65 प्रतिशत) का व्यय 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान तथा मार्च 2018 में ₹ 9.75 करोड़ (55 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। इन 10 स्कीमों में से पांच स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 2.19)।

2.6.2 अनुदान संख्या 24-सिंचाई

2017-18 के लिए अनुदान की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

- (i) पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 2.9 में दी गई है।

तालिका 2.9: बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत/आधिक्य का विवरण

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+)
		(₹ करोड़ में)				
2013-14	राजस्व (दत्तमत)	1,509.37	शून्य	1,509.37	1,126.83	(-) 382.54 (25)
	पूंजीगत (दत्तमत)	639.00	शून्य	639.00	852.26	(+) 213.26 (33)
2014-15	राजस्व (दत्तमत)	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	(-) 512.00 (31)
	पूंजीगत (दत्तमत)	510.24	शून्य	510.24	913.13	(+) 402.89 (79)
2015-16	राजस्व (दत्तमत)	1,717.22	शून्य	1,717.22	1,358.06	(-) 359.16 (21)
	पूंजीगत (दत्तमत)	550.20	50.00	600.20	811.20	(+) 211.00 (35)
2016-17	राजस्व (दत्तमत)	1,867.32	शून्य	1,867.32	1,355.20	(-) 512.12 (27)
	पूंजीगत (दत्तमत)	655.50	शून्य	655.50	832.49	(+) 176.99 (27)
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	1,910.16	12.27	1,922.43	1,402.80	(-)519.63 (27)
	पूंजीगत (दत्तमत)	764.17	60.65	824.82	915.94	(+)91.12 (11)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों/आधिक्य की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

⁷ (i) तकनीकी शिक्षा (₹ 0.01 करोड़) हरियाणा गवर्नेस रिफॉर्म अथोरिटी (एच.जी.आर.ए.) की सिफारिश का कार्यान्वयन, (ii) विद्यमान पॉलीटेकनीकों का आधुनिकीकरण (₹ छः करोड़), (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहर्ड, सोनीपत की स्थापना (₹ 10 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकूला की स्थापना (₹ 10 करोड़) ।

वर्ष 2013-18 के दौरान व्यय प्रक्षेपित बजट प्रावधान से कम रहा तथा राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत कुल प्रावधान के 21 एवं 31 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत थी।

आगे, वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) शीर्ष के अंतर्गत ₹ 824.82 करोड़ (मूल: ₹ 764.17 करोड़ तथा पूरक: ₹ 60.65 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 915.94 करोड़ का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 91.12 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका विधान मंडल से विनियमन अपेक्षित है। इस अनुदान में, गत पांच वर्षों के लिए पूंजीगत (दत्तमत) खंड के अंतर्गत लगातार ₹ 50 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय (कुल प्रावधान का 11 तथा 79 प्रतिशत के मध्य) देखा गया।

सरकार, अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाने पर विचार कर सकती है।

- (ii) कैनाल एरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 217.27 करोड़ (बजट प्रावधान: ₹ 205 करोड़ तथा पूरक प्रावधान: ₹ 12.17 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 105 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 112.27 करोड़ (कुल प्रावधान का 52 प्रतिशत) की बचत हुई। इन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त किए गए ₹ 12.27 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था।
- (iii) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, आठ उप-शीर्षों में ₹ 840.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 168.26 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 672.43 करोड़ की बचत हुई। बचत, कुल प्रावधान के 52 एवं 96 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, 12 उप-शीर्षों में ₹ 669.15 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 370.83 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 298.32 करोड़ की बचत हुई। पूंजीगत भारत शीर्ष के अंतर्गत, एक उप-शीर्षों में ₹ 70 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 57.61 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.39 करोड़ (18 प्रतिशत) की बचत हुई (परिशिष्ट 2.20)।
- (iv) राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान 10 स्कीमों में ₹ 571.40 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 109.27 करोड़ की राशि सरेंडर की गई थी। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, चार स्कीमों में ₹ 62.21 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 53.57 करोड़ की राशि सरेंडर की गई थी। इस प्रकार, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण बचत पूर्णतया सरेंडर नहीं की गई थी तथा ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग न हो सकी (परिशिष्ट 2.21)।
- (v) वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत (दत्तमत) शीर्ष के अंतर्गत तीन मामलों में ₹ 30.32 करोड़ की बचत तथा पूंजीगत (भारित) शीर्ष के अंतर्गत एक मामले में ₹ 12.39 करोड़ की बचत के विरुद्ध क्रमशः ₹ 32.43 करोड़ तथा ₹ 13.83 करोड़ की राशि तालिका 2.10 में दिए गए विवरणानुसार सरेंडर की गई थी। क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ तथा ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त सरेंडर कमजोर वित्तीय प्रबंध दर्शाता है।

तालिका 2.10: अतिरिक्त सरेंडर के विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	बजट	व्यय	बचत	सरेंडर की गई राशि	अतिरिक्त
	पूँजीगत (दत्तमत)	(₹ करोड़ में)				
1	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल क्षेत्र में खालों के निर्माण एवं पुनरुद्धार कार्यों में सुधार (4700-16-789-99)	35.00	14.94	20.06	21.40	1.34
2	अन्य व्यय: भूमि की वार्षिकी (4701-07-800-97)	20.00	14.66	5.34	5.80	0.46
3	सिंचाई परियोजनाओं का डाटा संग्रहण	20.00	15.08	4.92	5.23	0.31
	कुल पूँजीगत (दत्तमत)	75.00	44.68	30.32	32.43	2.11
	पूँजीगत (भारित)					
4	अन्य व्यय: भू-मुआवजे का भुगतान (4701-80-800-98)	70.00	57.61	12.39	13.83	1.44
	कुल पूँजीगत (भारित)	70.00	57.61	12.39	13.83	1.44

- (vi) 12 माइनर शीर्षों/स्कीमों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर ₹ 114.03 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 114.03 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वापस किया गया था जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.22** में दिए गए हैं।
- (vii) 24 मामलों में मूल अनुमानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के तथा बिना किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹ 441.55 करोड़ का व्यय किया गया था (**परिशिष्ट 2.23**)।
- (viii) वर्ष 2015-18 के दौरान 13 उप-शीर्षों में, **परिशिष्ट 2.24** में दिए गए विवरणानुसार सतत बचतें कुल प्रावधान के 11 तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थीं।
- (ix) सात स्कीमों पर 2017-18 के लिए ₹ 170.57 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 113.84 करोड़ (67 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.25**)।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2017-18 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर 2016 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 24 की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने अनुमान क्रमशः छः तथा 61 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् क्रमशः 10 नवंबर 2016⁸, 21 नवंबर 2016⁹ तथा 4 जनवरी 2017¹⁰ को प्रस्तुत किए।

⁸ बजट अनुमान निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

⁹ बजट अनुमान अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

¹⁰ बजट अनुमान प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

2.7 निष्कर्ष

2017-18 के दौरान, ₹ 1,24,990.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,02,962.69 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 22,027.71 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 22,568.31 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी। जिसे वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 256.98 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

59 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 22,731.21 करोड़ सरेंडर किए गए थे (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर)। 15 मामलों में ₹ 9,158.16 करोड़ सरेंडर किए गए जोकि वास्तविक बचतों से ₹ 345.16 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 23 मामलों में ₹ 8,637.78 करोड़ की बचतों में से ₹ 418.09 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं। अनुचित विनियोजनों के मामले भी पाए गए।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। 2017-18 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन और उनमें कमियां तालिका 3.1 में दी गई हैं।

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालन/कमियां
1	आईएस.ए.जी. 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा की विवरणी 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। गारंटियों पर आगे के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए अनुच्छेद 1.9. 4 का संदर्भ लें।
2	आईएस.ए.जी. 2: सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा की विवरणी 10)	(i) कुछ सहायतानुदान को पूंजीगत भाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए अनुच्छेद 1.6.4 का संदर्भ लें) (ii) राज्य सरकार की तरफ से दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।
3	आईएस.ए.जी. 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखा की विवरणी 18)	विवरण की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। व्यक्तिगत ऋणदाता की शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई थी। (ऋण और अग्रिमों पर आगे के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए अनुच्छेद 1.8.6 का संदर्भ लें)

स्रोत: भारतीय सरकारी लेखांकन मानक तथा वित्त लेखा

3.2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 23,877.22 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 19,130 उ.प्र.प. में से ₹ 7,800.80 करोड़ की कुल राशि के 1,588 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2018 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागीय विघटन **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में आयुवार विलंब **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलंब की रेंज वर्षों में	भुगतान किए गए कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 से 1	6,503	8,355.91	667	3,473.67
2	2 से 4	11,572	11,843.10	759	3,555.54
3	5 एवं अधिक	1,055	3,678.21	162	771.59
कुल		19,130	23,877.22	1,588	7,800.80

तालिका 3.2 दर्शाती है कि लम्बित 1,588 उ.प्र.प. में से 921 उ.प्र.प. (58 प्रतिशत) 2009-10 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों अर्थात् दो से नौ वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। **परिशिष्ट 3.1** का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल लम्बित 1,588 उ.प्र.प. में से 715 उ.प्र.प. (45 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। नमूना-जांच किए गए तीन नगर निगमों¹ में यह देखा गया था कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 553.95 करोड़ का सहायता-अनुदान (जी.आई.ए.) जारी किया गया था, परन्तु इस राशि से ₹ 431.64 करोड़ के उ.प्र.प. प्राप्त किए गए थे और 31 मार्च 2018 को ₹ 122.31 करोड़ के उ.प्र.प. लंबित पड़े थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करते रहने की सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

3.3 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971) की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

¹ (i) अंबाला (ii) करनाल (iii) पंचकुला।

85 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 216 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2018 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे **परिशिष्ट 3.2** में दिये गए हैं और उनके आयु-वार बकाया लंबनता **तालिका 3.3** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.3: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	विलम्ब वर्षों में	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1	0-1	84	224.42
2	1-3	92	298.45
3	3-5	24	65.42
4	5-7	11	31.69
5	7 वर्षों से अधिक	5	6.76
	कुल	216	626.74

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 163 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, में से 26 निकायों/प्राधिकरणों का ऑडिट 2017-18 के दौरान किया गया था।

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार हर साल के अंत में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों से खातों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों को अपनाने पर विचार कर सकती है।

3.4 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण तथा कृषि के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 30 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा जिम्मेवारी सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में इंगित की गई है।

जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर ने अपने 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। 14 स्वायत्त निकायों के संबंध में विलंब एक वर्ष तथा तीन वर्षों के मध्य रहा। लेखाओं के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ता है तथा इसलिए लेखाओं का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाना तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2016-17) तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ (2009-10 से 2015-16) के संबंध में पृ.ले.प. राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

सरकार, स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

3.5 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतः जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और रिसाव के जोखिम की संभावना है।

जून 2018 तक, ऐसे पांच उपक्रमों ने 1986-87 तथा 2016-17 के मध्य श्रृंखलित वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 7,782.28 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थी। यद्यपि बकाया लेखाओं को तैयार करने के बारे में बार-बार राज्य के वित्तों पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई है, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

3.6 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

हरियाणा में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33 निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि के लिए जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए धोखे अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितना उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 1.34 करोड़ राशि के सरकारी धन से संबंधित दुरुपयोग तथा गबन के 71 मामले सूचित किए जिन पर जून 2018 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन परिशिष्टों के विश्लेषण से प्रकट चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की आयुवार रूपरेखा तथा संख्या **तालिका 3.4** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

(₹ लाख में)

लंबित मामलों का एज-प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में शृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0 - 5	28	86.90	जून 2017 को लंबित मामले	98	140.82
5 - 10	07	16.61			
10 - 15	14	17.11	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	08	40.24
15 - 20	05	09.93			
20 - 25	03	00.00	कुल	106	181.06
25 एवं अधिक	14	03.72	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	35	46.79
कुल	71	134.27	जून 2018 को कुल लंबित मामले	71	134.27

मामलों के लम्बित रहने के कारण तालिका 3.5 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.5: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

लंबित मामलों के लिए विलंब/बकाया हेतु कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	51	106.43
ii	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की गई किन्तु राशि की वसूली हेतु आपराधिक मामले का कार्यान्वयन लम्बित	4	1.60
iii	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	10	9.30
iv	विधि न्यायालयों में लम्बित	6	16.94
कुल		71	134.27

हानि के सभी मामलों में से 77 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 72 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि 14 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे यह देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग के कारण हानियों के 71 मामलों में से 43 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें 14 मामले जो 25 वर्षों से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

3.7 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है।

2017-18 के दौरान कुल ₹ 11,522.30 करोड़ का व्यय (कुल व्यय² का 13.28 प्रतिशत) विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत बृहद् शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सब्सिडी, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक व्यय उपयुक्त शीर्ष में दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

यह मामला राज्य के वित्तों पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। तथापि, बहुप्रयोजन लघु शीर्ष का परिचालन निरंतर समान स्तर पर है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत महत्वपूर्ण राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

सरकार, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किए गए व्यय की राशियों को मुख्य स्कीमों के व्यय में एकीकृत करके लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत न दिखाकर उपयुक्त रूप से दर्शाने पर विचार कर सकती है।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोटस (ए.टी.एन.) पी.ए.सी. को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

2008-09 से 2015-16 तक राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर पी.ए.सी. द्वारा चयनात्मक आधार पर चर्चा की गई। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 14 मार्च, 2018 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर पी.ए.सी. द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गई है क्योंकि कुल 30 विभागों में से 14 विभागों के ए.टी.एन. अभी भी प्रतीक्षित हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में ए.टी.एन. के तुरंत प्रस्तुतिकरण के लिए संबंधित विभागों के साथ मामला उठाया गया था (मई 2018)।

² ऋण एवं अग्रिम छोड़कर।


3.9 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में काफी विलंब था जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया। स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अंतिम लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि तथा गबन के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2017-18 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत कुल व्यय का 13.28 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पास नवंबर 2018 में भेजे गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2019)।

चण्डीगढ़

दिनांक: 23 जुलाई 2019




(पूनम पाण्डेय)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 29 जुलाई 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल						
क. सामान्य डाटा						
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े	
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़	
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत	
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु-दर ⁴ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=34 प्रति 1000 सजीव जन्म)				33	
7	जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.3 वर्ष)				69.1 वर्ष	
8	गिनी सहकारी कारण ⁶					
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30	
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 ⁷				₹ 6,08,471 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)				हरियाणा	12.5 प्रतिशत
11					सामान्य श्रेणी राज्य	13.1 प्रतिशत
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)				अखिल भारतीय	11.5 प्रतिशत
13					हरियाणा	14.3 प्रतिशत
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)				सामान्य श्रेणी राज्य	14.5 प्रतिशत
15					हरियाणा	15 प्रतिशत
16	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2008 से 2017)				11.6 प्रतिशत	
17	मानव विकास इंडेक्स ⁹				हरियाणा (रैंक 9)	0.552
18.	(2007-08)				अखिल भारतीय	0.467
ख	वित्तीय आंकड़े					
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)				
सी.ए.जी.आर.		2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18		
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.1	14.0	11.3	19.4	
ख	स्वयं के कर राजस्व का	14.9	14.3	12.2	20.8	
ग	कर-भिन्न राजस्व का	9.5	8.4	5.9	47.1	
घ	कुल व्यय का	15.8	15.4	4.7	10.5	
ड	पूँजीगत व्यय का	14.0	5.4	1.0	97.3	
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.5	14.1	6.2	6.5	
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.2	18.4	10.7	9.8	
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	13.4	12.9	8.9	7.6	
झ	पेंशन का	16.2	17.0	22.9	55.2	

¹ जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

² आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 160-161

³ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 155

⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 151

⁵ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 151

⁶ http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

⁷ सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी।

⁸ भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी गुप की रिपोर्ट।

⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 161

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, बॉण्डस केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भूगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भूगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारत व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं। समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट करके की जाती है। 2017-18 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भूगतान योग्य जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष हैं फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास

विवरण	विन्यास
वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:	

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के केश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।
विवरणी सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-II में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'जमा' शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साम्या में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठा, गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के मिलान में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खंड-II में दो भाग शामिल हैं-भाग I में नौ विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
खंड-II का भाग-I	
विवरण सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरण सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, राज्य निधि व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित) के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरण सं. 16	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के खंड-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, राज्य निधि व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरण सं. 17	उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठा, गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी खंड-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरण सं. 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा साम्या-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरण सं. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरण सं. 22	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
खंड-I- खंड-II में मुख्य केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों तथा राज्य स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल हैं। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-I या II में 'विषय सूची' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकल्पित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1] \times 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] \times 100$
ब्याज फैलाव	स.रा.घ.उ. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})/2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	38,012	40,799	47,557	52,497	62,695
(i) कर राजस्व	25,567(67)	27,635(67)	30,929 (65)	34,026 (65)	41,099(66)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)	23,488 (69)	15,609(38)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)	4,613 (13)	4,966(12)
वाहनों पर कर	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)	1,583 (5)	2,778(7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)	3,283 (10)	4,193(10)
भू-राजस्व	12	15	15	16	18
माल एवं यात्रियों पर कर	498(2)	527(2)	554 (2)	595 (2)	2,317(6)
बिजली पर कर एवं शुल्क	219(1)	240(1)	257 (1)	276 (1)	306(1)
राज्य माल एवं सेवा कर	0	0	0	0	10,833(26)
अन्य कर	69	89	80	172	79
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,975(13)	4,613(13)	4,753 (10)	6,196 (12)	9,113(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,343(9)	3,548(9)	5,496 (12)	6,597 (12)	7,298(12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	4,127(11)	5,003(13)	6,379 (13)	5,678 (11)	5,185(8)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10	19	30	26	40
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूतियां	262	273	328	973	6,341
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	38,284	41,091	47,915	53,496	69,076
5. लोक ऋण प्राप्तियां	17,604	18,859	37,998	28,170	21,490
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)	28,047 (100)	21,270(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	0	0	79
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	341(2)	131(1)	97	123	141(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	55,888	59,950	85,913	81,666	90,566
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	63	80	27
8. लोक लेखे प्राप्तियां	26,548	28,064	29,056	32,108	33,894
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	82,436	88,014	1,15,032	1,13,854	1,24,487
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	41,887	49,118	59,236	68,403	73,257
योजनागत	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)	22,119 (32)	0
योजनेतर	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)	46,284 (68)	0
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)	21,631 (32)	26,699(36)
आर्थिक सेवाएं	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)	20,875 (30)	18,107(25)
सामाजिक सेवाएं	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)	25,473 (37)	28,061(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	136(1)	145	293	424(1)	390(1)
11. पूंजीगत व्यय	3,935	3,716	6,908	6,863	13,538
योजनागत	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)	6,559 (96)	0
योजनेतर	(-1,132)	(-1,121)	284 (4)	304 (4)	0
	(-29)	(-30)			
सामान्य सेवाएं	282(7)	291(8)	460 (7)	399 (6)	481(4)
आर्थिक सेवाएं	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)	4,877 (71)	9,884(73)
सामाजिक सेवाएं	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)	1,587 (23)	3,173(23)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	776	843	13,250	4,515	1,395
13. कुल (10+11+12)	46,598	53,677	79,394	79,781	88,190
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	7,968	8,227	7,215	5,276	6,339
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)	5,090 (96)	6,074(96)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	79(1)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	168(2)	154(2)	176 (2)	186 (4)	186(3)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	54,566	61,904	86,609	85,057	94,529
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	63	80	27
18. लोक लेखे संवितरण	24,560	25,609	28,650	29,276	31,171
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	79,126	87,513	1,15,322	1,14,413	1,25,727

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-) 3,875	(-) 8,319	(-)11,679	(-)15,906	(-)10,562
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-) 8,314	(-) 12,586	(-)31,479	(-)26,285	(-)19,114
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 2,464	(-) 5,658	(-)23,195	(-)15,743	(-)7,153
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5,850	6,928	8,284	10,542	11,961
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,540	6,106	10,766	12,647	9,844
25. अर्थापय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	109 (4)	-	0	0	79(2)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.03	-	0	0	0.02
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰	3,99,268	4,36,962	4,85,184	5,45,323	6,08,471
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	27,309	30,389	16,886	8,260	14,187
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	40	14	18	14	25
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	398	62.19	98.65	199.17	167.14
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.064	0.063	0.064	0.062	0.068
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.012	0.011	0.010	0.011	0.015
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.117	0.123	0.163	0.146	0.145
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.226	1.316	1.669	1.520	1.407
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.899	0.915	0.746	0.857	0.831
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.370	0.392	0.291	0.339	0.354
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.313	0.272	0.297	0.323	0.317
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.084	0.069	0.087	0.086	0.154
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.078	0.064	0.081	0.081	0.148
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.010	(-) 0.019	(-) 0.024	(-) 0.029	(-) 0.017
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.021	(-) 0.029	(-) 0.065	(-) 0.048	(-) 0.031
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.006	(-) 0.013	(-) 0.048	(-) 0.029	(-) 0.012
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.466	0.661	0.371	0.605	0.553
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-) 0.016	(-) 0.025	(-) 0.034	(-) 0.037	(-) 0.022
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.19	0.20	0.25	0.27	0.27
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.006	2.168	2.538	2.788	2.617
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	6.49	5.80	15.89	5.89	7.53
वित्तीय परिसम्पतियां/देयताएं	0.74	0.68	0.67	0.62	0.60

¹⁰ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 1.5 भाग-क
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3 एवं 35)
वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां		संवितरण			
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
भाग क: राजस्व						
I. राजस्व प्राप्तियां	52,496.82		62,694.87	I. राजस्व व्यय	68,403.43	73,257.36
कर राजस्व	34,025.68	41,099.38		सामान्य सेवाएं	21,630.79	26,698.68
कर भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85		सामाजिक सेवाएं	25,473.49	28,061.34
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	6,597.47	7,297.52		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	11,060.40	11,782.92
नॉन प्लान अनुदान	3,078.49	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,800.23	3,074.26
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	2,327.52	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	4,516.60	5,770.38
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	271.57	-		सूचना एवं प्रसारण	130.61	129.99
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	-	2,326.62		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	564.69	396.31
वित्त आयोग अनुदान	-	1,316.68		श्रम एवं श्रम कल्याण	326.36	517.30
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	1,541.82		समाज कल्याण एवं पोषण	6,066.25	6,381.69
				अन्य	8.35	8.49
				आर्थिक सेवाएं	20,875.21	18,106.82
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	2,519.40	2,734.71
				ग्रामीण विकास	2,892.07	2,980.84
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,411.72	1,463.09
				ऊर्जा	10,514.98	7,631.52
				उद्योग एवं खनिज	349.80	317.69
				परिवहन	2,819.84	2,902.44
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	26.69	26.53
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	340.71	50.00
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	423.94	390.52
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	15,906.61		10,562.49	II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य		
योग भाग क	68,403.43		73,257.36		68,403.43	73,257.36
भाग ख- अन्य						
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	6,217.73		5,658.26	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट		
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	26.27		39.87	IV. पूंजीगत परिव्यय	6,863.10	13,537.90
				सामान्य सेवाएं	399.37	480.90
				सामाजिक सेवाएं	1,586.41	3,172.70
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	141.75	403.65
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	244.19	302.22
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,009.90	2,222.42
				सूचना एवं प्रसारण	-	49.38
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.07	3.50
				समाज कल्याण एवं पोषण	79.39	65.40
				अन्य	108.11	126.13

प्राप्तियां			संवितरण					
	2016-17		2017-18			2016-17		2017-18
						आर्थिक सेवाएं	4,877.32	9,884.30
						कृषि एवं सहायक गतिविधियां	413.08	1,350.81
						सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	926.31	973.55
						ऊर्जा	1,894.73	5,454.44
						उद्योग एवं खनिज	2.20	2.24
						परिवहन	1,588.40	1,782.31
						विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	14.00	-
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	38.60	320.95
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	973.23		6,340.93			V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,514.91	1,394.89
बिजली परियोजनाओं से	68.09	6,007.50				बिजली परियोजनाओं हेतु	3,647.08	887.48
सरकारी कर्मचारियों से	866.64	93.19				सरकारी कर्मचारियों को	68.93	121.07
अन्यों से	38.50	240.24				अन्यों को	798.90	386.34
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-	-				VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	15,906.61	10,562.49
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	28,169.52		21,489.76			VII. लोक ऋण का पुनर्भूगतान	5,275.84	6,338.85
बाह्य ऋण						बाह्य ऋण		
अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	28,046.26	21,269.27				अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	5,089.52	6,073.77
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	-	79.48				अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भूगतान	--	79.48
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन						VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	80.14	26.77
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	80.14		26.77			IX. आकस्मिक निधि से व्यय		
X. लोक लेखा प्राप्तियां	32,107.64		33,894.25			X. लोक लेखा संवितरण	29,275.67	31,171.48
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,034.08	3,342.50				लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,919.20	2,116.18
आरक्षण निधियां	1,593.64	973.29				आरक्षण निधियां	48.91	153.65
उचन्त एवं विविध प्रेषण	848.36	900.54				उचन्त एवं विविध प्रेषण	731.54	852.20
निक्षेप एवं अग्रिम	7,134.20	8,098.05				डिपोजिट्स एवं अग्रिम	7,076.54	8,123.14
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट	19,497.36	20,579.87				XI. समाप्ति पर नकद शेष	19,499.48	19,926.31
						कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54
						रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	426.19	(-)490.11
						स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	3.04	2.93
						विभागीय नकद शेष		
						नकद शेष निवेश	2,554.85	2,084.53
						उद्विष्ट निवेश	2,673.64	2,819.57
योग भाग-ख	67,574.53		67,449.84			योग	67,574.53	67,449.84

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 35)
31 मार्च 2018 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 को	देयताएं	31 मार्च 2018 को
1,22,616.87	आन्तरिक ऋण	1,37,812.37
	81,177.82 ब्याज युक्त बाजार ऋण	97,017.33
	2.28 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	0.25 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.15
	29,132.29 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	29,442.54
	12,304.23 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,350.09
1,985.86	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,941.27
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	43.51 योजनेतर ऋण	41.87
	1,942.35 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,758.39
	विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	141.01
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
13,321.20	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	14,547.52
6,413.48	डिपोजिटस	7,067.03
4,707.44	आरक्षण निधियां	5,527.08
-	उचंत तथा विविध शेष	
181.86	प्रेषण शेष	156.77
1,49,426.71		1,67,252.04
31 मार्च 2017 को	परिसम्पतियां	31 मार्च 2018 को
6,5860.86	स्थायी परिसम्पतियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	79,358.89
	11,371.42 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	17,374.35
	54,489.44 अन्य पूंजीगत परिव्यय	61,984.54
21,035.98	ऋण एवं अग्रिम	16,089.94
	16,809.50 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	11,689.47
	4,174.68 अन्य विकास ऋण	4,320.79
	51.80 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	79.68
0.72	अग्रिम	0.72
59.15	उचन्त एवं विविध शेष	10.80
-	प्रेषण शेष	-
5,658.26	नकद	4,417.46
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	426.19 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	(-)490.11
	2.92 विभागीय नकद शेष	2.81
	0.12 स्थायी अग्रिम	0.12
	2,554.85 नकद शेष निवेश	2,084.53
	2,673.64 आरक्षण निधि निवेश	2,819.57
56,811.74	सरकारी लेखाओं पर घाटा	67,374.23
	15,906.61 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	10,562.49
	40,905.13 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	56,811.74
1,49,426.71	कुल	1,67,252.04

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2018 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 35.38 करोड़ (निवल जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2018)।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2; पृष्ठ 5)

वर्ष 2017-18 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) तथा वास्तविकों के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	57,315	43,339.74	41,099
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,544	10,081.72	9,113
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	61,859	53,421.46	50,212
कुल राजस्व व्यय	56,909	79,935.84	73,257
वेतन	-	20,034.48	18,632
ब्याज भुगतान	10,499	11,257.19	11,961
पेंशन	5,990	6,600.22	8,783
सब्सिडी-विद्युत	-	6,230.20	7,624
राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (-)	(+) 4,950	(-)11,124.96	(-) 10,562
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	3.25 प्रतिशत	2.84 प्रतिशत	3.14 प्रतिशत
बकाया ऋण (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	20.45 प्रतिशत	22.93 प्रतिशत (₹ 1,41,854 करोड़)	26.97 प्रतिशत

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 31)

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2016-17 तक)	निवेश (2017-18 के दौरान)	निवेश (2017-18 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)				
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	39.43	3.44	42.87	12.76	2013-14
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	-	10.89	354.28	2016-17
3.	हरियाणा विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	2,859.86	13.14	2,873.00	279.88	2016-17
4.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,717.87	2,895.88	5,613.75	16,078.07	2016-17
5.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,065.37	2,561.29	4,626.66	13,951.74	2016-17
6.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	0.03	202.01	109.06	2016-17
7.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	-	0.24	7.55	2016-17
8.	हरियाणा यमुना कोल कंपनी लिमिटेड	0.01	-	0.01	0.33	2016-17
9.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	-	2.54	122.76	2016-17
10.	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	0.51	-	0.51	0.04	2016-17
11.	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	-	-	-	27.18	1997-98
12.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	-	5.00	1.50	2014-15
13.	हरियाणा महिला विकास निगम	15.51	-	15.51	1.60	2012-13
कुल		7,919.21	5,473.78	13,392.99	30,946.75	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 32)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2015-16	6,908.27	6,772.51	-	-	7,056.08	(-) 263.84	207.76	(-) 56.08	-
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज	2011-12	855.22	815.04	528.10	0.29	792.57	(-) 228.46	28.00	(-) 200.46	-
कुल			7,782.28	7,610.82	528.19	0.30	7,857.59	(-) 490.44	237.19	(-) 253.25	-

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 33)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
1.	मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार	एच.एम.एस. सी.एल.	2,028.96 (हरियाणा का हिस्सा ₹ 787.96 करोड़)		फरवरी 2013	वाणिज्यिक संचालन की तिथि 24 जून 2018
2.	झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	एच.वी.पी. एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
3.	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	1,088.00	बी.ओ.टी.	-	14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
4.	सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
5.	कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2016	फरवरी 2019. परियोजना का 91.7 प्रतिशत काम पूरा हो गया
6.	हरियाणा राज्य में एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विकास के लिए 14 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,627.62	बी.ओ.ओ.टी.	--	14 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए बोली मूल्यांकन किया गया है और परियोजना जल्द ही दी जाएगी। अगले तीन महीनों में परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं आमंत्रित। जनवरी 2018 में चार परियोजनाओं में निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त की गई। पुनः टेंडरिंग पर निर्णय अनुमोदन के लिए लंबित है।
7.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014	चार जिला अस्पताल में सीटी और एमआरआई कार्यात्मक और नौ जिले में केवल सीटी स्कैन कार्यात्मक है।
8.	हीमोडायलिसिस सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015	10 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
9.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016	सभी चार जिला अस्पतालों में कार्यात्मक।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
10.	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड़ (0.00 से 14.28 कि.मी.) के पेवड सोल्डर सहित 2 लेनिंग का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन व सड़क)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016	--	पूरा कर लिया है
11.	1396 सरकारी आई.टी.आई.ज का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा	130.00	--	2007 से 2012	नए अनुमोदित आई.डी.पी. (इंस्टीट्यूट डिवेलपमेंट प्लान 2018-19) के अनुसार 2018-19
12.	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	
13.	गुडगांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ सोहाना रोड़ की मरम्मत (लम्बाई 66.185 किलोमीटर)	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन व सड़क)	180.00	बी.ओ.टी.	--	परियोजना परिचालन चरण में है
कुल			9,766.58			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

2017-18 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	व्यय का मुख्य शीर्ष/लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या 6-वित्त (भारित)		
1	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 97-एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहीत भूमि की ओर जमा पर ब्याज	0.66
2	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 98-रेलवे मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत भूमि की ओर जमा पर ब्याज	13.22
3	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 701-विविध, 96-पेंशनरी लाभ आदि के देरी भुगतान पर ब्याज	2.23
अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़क		
4	2216-आवास-052-मशीनरी एवं उपकरण, 2059-लोक निर्माण कार्य को हस्तांतरित 99-मशीनरी एवं उपकरण प्रभार	0.22
अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम		
5	7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-201-गृह निर्माण अग्रिम 99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आई.ए.ए.एस. अधिकारियों के अलावा सरकारी कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम, 99-विवेकपूर्ण कोटा के अलावा अन्य अग्रिम	0.06
6	7610-सरकारी सेवकों आदि को ऋण-800-अन्य अग्रिम, 97-विवाह उत्सव के लिए अग्रिम	0.57
कुल		16.96

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्षण
राजस्व (दत्तमत)							
1	4-राजस्व	1,189.31	120.30	1,309.61	1,098.03	(-) 211.58	337.86
2	8-भवन एवं सड़कें	1,397.05	36.25	1,433.30	1,136.98	(-) 296.32	286.36
3	9-शिक्षा	13,414.09	95.87	13,509.96	11,164.25	(-) 2,345.71	2,352.16
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	457.54	246.34	(-) 211.20	210.00
5	13-स्वास्थ्य	3,399.43	108.81	3,508.24	3,074.17	(-) 434.07	426.59
6	15-स्थानीय शासन	3,869.64	1,572.05	5,441.69	3,978.76	(-) 1,462.93	1,462.93
7	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	419.75	297.64	(-) 122.11	122.56
8	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	753.94	396.31	(-) 357.63	357.64
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,864.50	272.65	5,137.15	4,910.14	(-) 227.01	226.91
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,074.84	4.92	1,079.76	847.50	(-) 232.26	231.46
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	577.48	0	577.48	266.28	(-) 311.20	310.62
12	24-सिंचाई	1,910.16	12.27	1,922.43	1,402.80	(-) 519.63	168.24
13	25-उद्योग	363.56	0	363.56	129.17	(-) 234.39	234.08
14	27-कृषि	1,927.32	0	1,927.32	1,278.88	(-) 648.44	633.52
15	30-वन एवं वन्यजीवन	456.12	0	456.12	313.91	(-) 142.21	138.54
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,166.64	387.21	4,553.85	3,360.17	(-) 1,193.68	1,193.08
17	34-परिवहन	2,284.47	0	2,284.47	2,007.09	(-) 277.38	278.37
18	36-गृह	3,866.06	252.78	4,118.84	3,600.88	(-) 517.96	516.86
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,941.66	0	1,941.66	1,703.65	(-) 238.01	233.64
20	40-एनर्जी एवं पावर	10,254.00	320.64	10,574.64	7,652.48	(-) 2,922.16	2,922.10
21	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	674.45	534.44	(-) 140.01	128.79
	कुल	59,023.21	3,422.55	62,445.76	49,399.87	(-) 13,045.89	12,772.31
पूँजीगत (दत्तमत)							
22	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	415.00	0	415.00	304.24	(-) 110.76	110.76
23	8-भवन एवं सड़कें	3,484.31	272.31	3,756.62	2,602.27	(-) 1,154.35	1,158.07
24	9-शिक्षा	100.00	0	100.00	0	(-) 100.00	100.00
25	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	584.65	169.49	(-) 415.16	415.16
26	14-शहरी विकास	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00	(-) 500.00	500.00
27	21-महिला एवं बाल विकास	172.41	0	172.41	61.54	(-) 110.87	112.60
28	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,846.51	0	9,846.51	9,098.06	(-) 748.45	748.45
29	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1200	0	1,200.00	0	(-) 1,200.00	1,200.00
30	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,443.18	0	1,443.18	1,169.20	(-) 273.98	360.94
31	40-एनर्जी एवं पावर	1,605.34	3,994.93	5,600.27	5,454.44	(-) 145.83	145.83
32	45-ऋण एवं अग्रिम	1,326.07	277.77	1,603.84	1,394.89	(-) 208.95	319.53
	कुल	21,109.42	5,113.06	26,222.48	21,254.13	(-) 4,968.35	5,171.34
पूँजीगत (भारित)							
33	लोक ऋण भारित	9,944.97	0	9,944.97	6,338.85	(-) 3,606.12	3,606.19
	कुल	9,944.97	0.00	9,944.97	6,338.85	(-) 3,606.12	3,606.19
	सकल योग	90,077.60	8,535.61	98,613.21	76,992.85	(-) 21,620.36	21,549.84

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 55)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	4-राजस्व	1,189.31	120.30	1,098.03	(-) 211.58
2	5-आबकारी एवं कराधान	245.26	16.50	195.88	(-) 65.88
3	8-भवन एवं सड़कें	1,397.05	36.25	1,136.98	(-) 296.32
4	9-शिक्षा	13,414.09	95.87	11,164.25	(-) 2,345.71
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	246.34	(-) 211.20
6	13-स्वास्थ्य	3,399.43	108.81	3,074.17	(-) 434.07
7	14-शहरी विकास	103.94	0.90	50.89	(-) 53.95
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	297.64	(-) 122.11
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	396.31	(-) 357.63
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,074.84	4.92	847.50	(-) 232.26
11	22-पूर्व सैनिकों का कल्याण	122.94	7.59	111.70	(-) 18.83
12	24-सिंचाई	1,910.16	12.27	1,402.80	(-) 519.63
13	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	731.72	24.50	667.39	(-) 88.83
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,166.64	387.21	3,360.17	(-) 1,193.68
15	36-गृह	3,866.06	252.78	3,600.88	(-) 517.96
16	37-चुनाव	49.47	22.44	33.76	(-) 38.15
17	39-सूचना एवं प्रचार	163.54	0.50	134.49	(-) 29.55
18	40-एनर्जी एवं पावर	10,254.00	320.64	7,652.48	(-) 2,922.16
19	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	534.44	(-) 140.01
20	43-जेलें	233.31	24.50	207.44	(-) 50.37
	कुल	44,388.64	1,674.78	36,213.54	(-) 9,849.88
पूंजीगत (दत्तमत)					
21	8-भवन एवं सड़कें	3,484.31	272.31	2,602.27	(-) 1,154.35
22	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	169.49	(-) 415.16
23	14-शहरी विकास	1,000.00	500.00	1,000.00	(-) 500.00
24	36-गृह	255.00	53.00	225.85	(-) 82.15
	कुल	5,255.91	893.36	3,997.61	(-) 2,151.66
	सकल योग	49,644.55	2568.14	40,211.15	(-) 12,001.54

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	130.07	28.76	155.80	(-) 3.03
2	3-सामान्य प्रशासन	276.00	24.70	280.17	(-) 20.53
3	15-स्थानीय सरकार	3869.64	1572.05	3978.76	(-) 1462.93
4	17-रोजगार	78.79	156.10	178.37	(-) 56.52
5	20-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4864.50	272.65	4910.14	(-) 227.01
6	26-खदान और भूविज्ञान	55.90	11.02	64.22	(-) 2.70
7	33-सहकारिता	226.22	111.20	328.26	(-) 9.16
8	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई.टी.	125.57	1.48	126.97	(-) 0.07
राजस्व (भारित)					
9	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	15.47	2.18	16.96	(-) 0.70
10	42-न्याय प्रशासन	122.02	6.54	126.74	(-) 1.82
पूंजीगत (दत्तमत)					
11	33-सहकारिता	128.71	206.87	290.36	(-) 45.22
12	39-सूचना एवं प्रचार	40.00	10.00	49.38	(-) 0.62
13	40-ऊर्जा एवं विद्युत	1605.34	3994.93	5454.44	(-) 145.83
14	45-ऋण एवं अग्रिम	1326.07	277.77	1394.89	(-) 208.95
	कुल	12864.30	6676.25	17355.46	(-) 2185.09

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
1	6-वित्त	6679.34	1793.40	8848.34	375.6
राजस्व (भारित)					
2	6- वित्त	11277.19	624.37	11975.44	73.88
पूंजीगत (दत्तमत)					
3	24-सिंचाई	764.17	60.65	915.94	91.12
	कुल	18720.70	2478.42	21739.72	540.60

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 56)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	4	राजस्व	2030-स्टॉम्प एवं पंजीकरण 02-गैर-न्यायिक स्टॉम्प 102-स्टॉम्प की बिक्री पर खर्च 99-कर्मचारियों की जांच	(ओ)2.66 (आर) (-)2.55 0.11	1.76	1.65
2.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 282-जन स्वास्थ्य 99-डिवाटरिंग ऑपरेशन	(ओ)5.00 (आर) (-) 4.98 0.02	1.35	1.33
3.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 98-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए अनुदान-सहायता (एस.डी.आर.एफ.)	(ओ)5.50 (आर) (-) 5.37 0.13	2.64	2.51
4.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य योगदान	(ओ)339.00 (एस) 100.00 (आर) (-) 16.28 422.72	500.62	77.90
5.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 91-ओलावृष्टि/शीत जल/धुंध राहत	(ओ)60.50 (एस) 15.00 (आर) (-) 39.84 35.66	68.34	32.68
6.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट अटैक लैंडस्लाइड/क्लाउड विस्फोट आदि के लिए नकद अनुदान	(ओ)10.00 (आर) (-)8.00 2.00	12.10	10.10
7.	5	आबकारी एवं कराधान	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-जिला स्टॉफ	(ओ)51.85 (एस) 0.36 (आर) 1.32 53.53	51.69	(-)1.84
8.			2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर 101-संग्रह शुल्क 99-फील्ड स्टॉफ	(ओ)76.02 (एस) 5.02 (आर) (-)11.90 69.14	65.69	(-)3.45
9.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज 104-लघु भविष्य निधि पर ब्याज 98-ए.आई.एस. (सीएच.) पर ब्याज	(ओ)1.68 (आर) (-) 1.38 0.30	3.12	2.82

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
10.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज 104-लघु भविष्य निधि पर ब्याज 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ)1071.40 (आर) (-) 71.40 1000.00	1065.41	65.41
11.			2054-खजाना और लेखा प्रशासन 098-स्थानीय निधि लेखापरीक्षा 99-मुख्यालय कर्मचारी 98-स्थापना व्यय	(ओ)26.28 (आर)(-)0.30 25.98	23.97	(-)2.01
12.	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 96-क्रियान्वयन	(ओ)397.26 (एस) 1.21 (आर) (-)82.26 316.21	310.51	(-)5.70
13.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ)77.00 (एस) 10.80 (आर) (-)0.81 86.99	89.25	2.26
14.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रखरखाव व्यय 88-सामान्य रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ)16.51 (एस) 4.00 (आर) (-)4.41 16.10	20.65	4.55
15.			3054-सड़कें और पुल 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 51-एन.ए.	(ओ)50.05 (आर)(-) 0.05 50.00	45.84	(-)4.16
16.			3054-सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ)510.05 (आर) (-) 58.91 451.14	449.36	(-)1.78
17.			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ)150.00 (आर) (-) 108.33 41.67	53.63	11.96
18.			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 96-जेलें	(ओ)55.00 (आर) (-) 3.47 51.53	52.83	1.30
19.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 201-प्राथमिक शिक्षा 99-स्कूल भवन का निर्माण	(ओ)25.00 (आर) (-) 0.08 24.92	-	(-) 24.92
20.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ)130.00 (एस) 56.00 (आर) (-) 67.75 118.25	111.71	(-)6.54

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
21.	8	भवन एवं सड़कें	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ)300.00 (आर) (-) 77.81 222.19	204.44	(-)17.75
22.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 104-पॉलिटैक्निक 99-पॉलिटैक्निक भवन	(ओ)30.00 (आर) (-) 6.98 23.02	20.97	(-)2.05
23.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04-कला और संस्कृति 106-संग्रहालय 99-भवन (पुरातत्व)	(ओ)20.00 (आर) 2.48 22.48	20.80	(-)1.68
24.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 97-जेले	(ओ)25.00 (आर) (-) 12.77 12.23	5.96	(-) 6.27
25.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(ओ)30.00 (एस)5.00 (आर) 9.36 44.36	45.48	1.12
26.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 87-सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)200.00 (आर) (-) 130.09 69.91	74.04	4.12
27.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)110.00 (एस) 20.00 (आर) (-) 34.38 95.62	101.62	6.00
28.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के लिए सड़कों एवं बाईपास का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)750.00 (आर) (-) 67.80 682.20	720.46	38.26
29.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80 -सामान्य 800-अन्य व्यय 99-अनुसंधान (भारत)	(ओ)30.00 (आर) (-) 19.06 10.94	16.49	5.55

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
30.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88-प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं I से V की स्थापना	(ओ)2469.76 (आर) (-) 20.31 2449.45	2454.45	5.00
31.			2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88-स्थापना व्यय	(ओ)2604.28 (आर)(-)385.09 2219.19	2220.88	1.69
32.	13	स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी 110-अस्पताल और डिस्पेंसरी 49-शहरी अस्पताल और डिस्पेंसरी का सुदृढीकरण	(ओ)305.16 (एस) 20.00 (आर) 65.47 390.63	389.01	(-)1.62
33.			2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 91-पी.एच.सी. की निरंतरता	(ओ)217.67 (आर) (-) 34.86 182.81	181.34	(-)1.47
34.			2211-परिवार कल्याण 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 98-उप-केन्द्र	(ओ)170.20 (आर) (-) 54.96 115.24	113.88	(-)1.36
35.	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ)23.42 (आर) (-)3.81 19.62	0.91	(-)18.71
36.			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)90.51 (आर) (-)15.06 75.45	4.17	(-)71.28
37.			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)2.77 (आर) (-)0.64 2.13	0.15	(-)1.98
38.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ)47.41 (आर) (-)7.47 39.94	3.99	(-)35.95
39.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)352.08 (आर) (-)59.76 292.32	29.05	(-)263.27
40.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)23.93 (आर) (-)6.87 17.06	1.27	(-)15.79
41.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रखरखाव एवं मरम्मतs 98-अन्य रखरखाव व्यय	(ओ)40.00 (आर) 0.50 40.50	41.73	1.23

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
42.	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 99-ब्याज	(ओ)139.35 (आर) 10.65 150.00	152.69	2.69
43.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)48.34 (आर) (-)6.14 42.20	15.17	(-)27.03
44.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)5.00 (आर) (-)1.86 3.14	0.70	(-)2.44
45.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ)6.00 (आर) (-)1.39 4.61	1.67	(-)2.94
46.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101-रखरखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रखरखाव कार्य	(ओ)11.00 (आर) 1.50 12.50	14.21	1.71
47.			2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ)37.72 (आर) (-)6.27 31.45	8.71	(-)22.74
48.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की लाईनिंग का आधुनिकीकरण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनर्वास -राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनर्वास में सुधार	(ओ)94.00 (आर) (-)33.93 60.07	58.87	(-)1.20
49.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15-नलों की लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-बी.एम.एल. की बहाली क्षमता	(ओ)7.00 (आर) (-)2.52 4.48	2.69	(-)1.79
50.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्वास 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और पुनर्वास में सुधार	(ओ)35.00 (आर) (-)21.40 13.60	14.94	1.34

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
51.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार	(ओ)49.50 (एस)20.00 (आर) (-)2.05 67.45	62.15	(-)5.30
52.	24	सिंचाई	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-अदालत के आदेश के अंतर्गत उन्नत भूमि मुआवजे का भुगतान	(ओ)70.00 (आर) (-)13.83 56.17	57.61	1.44
53.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी तूफान, जल ड्रेनेज कार्य	(ओ)20.00 (आर) 8.97 28.97	31.21	2.24
54.	27	कृषि	2401-फसल पालन 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण 80-राष्ट्रीय विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ)400.00 (आर) (-)212.35 187.65	190.17	2.52
55.			2402-मृदा और जल संरक्षण 102-मृदा संरक्षण 86-राज्य में नमकीन मिट्टी और जलप्रबंधित भूमि के पुनर्वास के लिए पायलट परियोजना की योजना 99-सामान्य योजना	(ओ)4.50 (आर) (-)1.65 2.85	1.44	(-)1.41
56.			2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान	(ओ)148.00 (आर) (-)3.32 144.68	130.18	(-)14.50
57.	30	वन एवं वन्य जीवन	2406-वानिकी और वन्यजीवन 01-वानिकी 001-निर्देशन एवं प्रशासन 98-सर्कल/डिवीजनल स्टॉफ	(ओ)95.04 (आर) (-)16.83 78.21	75.59	(-)2.62
58.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम 101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99-एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका) के रूप में नाम दिया गया 99-सामान्य योजना	(ओ)15.00 (आर) 23.92 38.92	40.41	1.49
59.			2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 97-डी.आर.डी.ए. प्रशासन	(ओ)30.00 (एस)35.00 (आर) (-)23.70 41.30	39.80	(-)1.50

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
60.			2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-समुदायिक विकास 96-जिला और ब्लॉक स्टॉफ	(ओ)143.29 (आर)(-)13.01 130.28	133.08	2.80
61.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 196-जिला परिषद (जिला स्तर पंचायत) को सहायता 99-जिला परिषद के खाते के रखरखाव के लिए योजना पी.आर.आई. के निर्वाचित सदस्य और जिला परिषद स्टॉफ की वेतन के लिए मानदंड के भुगतान की योजना के रूप में नाम दिया गया	(ओ)66.94 (एस)1.97 (आर) 6.81 75.72	73.04	(-) 2.68
62.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी-संचालन	(ओ)1687.70 (आर) (-)177.17 1510.53	1512.19	1.66
63.	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ)2894.42 (एस)208.61 (आर) (-)490.58 2612.45	2607.74	(-)4.71
64.			2055-पुलिस 115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण 99-उपकरण की खरीद	(ओ)37.98 (आर) (-)20.51 17.47	22.72	5.25
65.			2055-पुलिस 116-फॉरेंसिक विज्ञान 99-फॉरेंसिक विज्ञान-प्रयोगशाला कर्मचारी	(ओ)18.66 (आर) (-)4.67 13.99	12.28	(-)1.71
66.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति और स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना-नियमित स्थायी मैकेनिकल स्टॉफ	(ओ)620.21 (आर)(-) 112.56 507.65	502.93	(-)4.72
67.			4215-पूँजीगत परिव्यय पर जलापूर्ति प्रशिक्षण और स्वच्छता 01-जलापूर्ति 99-शहरी जलापूर्ति 99-बढ़ोतरी जलापूर्ति	(ओ)250.00 (आर) (-) 86.99 163.01	250.01	87.00
68.	42	न्याय प्रशासन	2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल और सत्र न्यायालय 99-जिला और सत्र न्यायाधीशों	(ओ)195.88 (एस)103.26 (आर)(-) 86.60 212.54	210.71	(-)1.83
69.			2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 98-अभियोजन पक्ष निदेशक 98-स्थापना व्यय	(ओ)72.42 (एस)2.51 (आर)(-) 7.39 67.54	66.53	(-)1.01
70.			2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 99-वकील सामान्य 98-स्थापना व्यय	(ओ)39.75 (आर)(-)0.72 39.03	31.11	(-)7.92

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
71.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 205-ट्रांसमिशन और वितरण 98-हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड के लिए ऋण	(ओ)683.15 (एस)169.79 (आर) (-)200.32 652.62	887.48	234.86
72.			6801-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 800-बिजली बोर्ड के लिए अन्य ऋण 98-आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	(ओ)240.00 (आर) (-) 54.16 185.84	0	185.84
73.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम 98-मंत्रियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम, उपमंत्री, राज्य मंत्री, प्रेसीडिंग अधिकारी और राज्य विधानसभा	(ओ)20.00 (आर) (-) 16.85 3.15	64.64	61.49
74.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 800-अन्य अग्रिम 98-महोत्सव अग्रिम	(ओ)10.00 (आर) (-) 1.94 8.06	11.40	3.34
75.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 800-अन्य अग्रिम 99-खाद्य अनाज की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ)65.00 (आर) (-)17.84 47.16	43.27	(-)3.89
कुल				17,008.98	16,908.90	(-) 787.36 (+) 687.27

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	34	(+) 687.28
विनियोजन में से बचत (-)	41	(-) 787.36
कुल	75	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 6 तथा 17	2	22.06
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 19, 21, 35, 40, 47 तथा 56	6	114.41
कुल	8	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 4, 5, 10, 28, 67, 71 तथा 73	7	597.60
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 36, 38, 39, 43 तथा 72	5	583.37
कुल	12	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 57)

मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	3-सामान्य प्रशासन	276.00	24.70	300.70	280.17	(-) 20.53	19.79
2	5-आबकारी एवं कराधान	245.26	16.50	261.76	195.88	(-) 65.88	59.67
3	8-भवन एवं सड़कें	1397.05	36.25	1433.30	1136.98	(-) 296.32	286.36
4	10-तकनीकी शिक्षा	437.84	0.00	437.84	345.23	(-) 92.61	91.94
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	457.54	246.34	(-) 211.20	210.00
6	13-स्वास्थ्य	3399.43	108.81	3508.24	3074.17	(-) 434.07	426.59
7	14-शहरी विकास	103.94	0.90	104.84	50.89	(-) 53.95	52.14
8	16-श्रम	78.79	156.10	234.89	178.37	(-) 56.52	56.32
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4864.50	272.65	5137.15	4910.14	(-) 227.01	226.91
10	21-महिला एवं बाल विकास	1074.84	4.92	1079.76	847.50	(-) 232.26	231.46
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	577.48	0.00	577.48	266.28	(-) 311.20	310.62
12	24-सिंचाई	1910.16	12.27	1922.43	1402.80	(-) 519.63	168.24
13	25-उद्योग	363.56	0.00	363.56	129.17	(-) 234.39	234.08
14	27-कृषि	1927.32	0.00	1927.32	1278.88	(-) 648.44	633.52
15	30-वन एवं वन्यजीवन	456.12	0.00	456.12	313.91	(-) 142.21	138.54
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4166.64	387.21	4553.85	3360.17	(-) 1193.68	1193.08
17	36-गृह	3866.06	252.78	4118.84	3600.88	(-) 517.96	516.86
18	37-चुनाव	49.47	22.44	71.91	33.76	(-) 38.15	38.00
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1941.66	0.00	1941.66	1703.65	(-) 238.01	233.64
20	39-सूचना एवं प्रचार	163.54	0.50	164.04	134.49	(-) 29.55	29.47
21	40-एनर्जी एवं पावर	10254.00	320.64	10574.64	7652.48	(-) 2922.16	2922.10
22	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	674.45	534.44	(-) 140.01	128.79
23	44-प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	40.11	0.00	40.11	28.07	(-) 12.04	11.57
	कुल	38599.14	1743.29	40342.43	31704.65	(-) 8637.78	8219.69
राजस्व (दत्तमत)							
1	4-राजस्व	1189.31	120.30	1309.61	1098.03	(-) 211.58	337.86
2	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	40.17	0.48	40.65	29.89	(-) 10.76	10.82
3	9-शिक्षा	13414.09	95.87	13509.96	11164.25	(-) 2345.71	2352.16
4	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	419.75	297.64	(-) 122.11	122.56
5	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	753.94	396.31	(-) 357.63	357.64
6	22-पूर्व सैनिकों का कल्याण	122.94	7.59	130.53	111.70	(-) 18.83	19.03
7	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	731.72	24.50	756.22	667.39	(-) 88.83	89.50
8	34-परिवहन	2284.47	0.00	2284.47	2007.09	(-) 277.38	278.37
पूंजीगत (दत्तमत)							
9	8-भवन एवं सड़कें	3484.31	272.31	3756.62	2602.27	(-) 1154.35	1158.07
10	21-महिला एवं बाल विकास	172.41	0.00	172.41	61.54	(-) 110.87	112.60
11	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1443.18	0.00	1443.18	1169.20	(-) 273.98	360.94
12	45-ऋण एवं अग्रिम	1326.07	277.77	1603.84	1394.89	(-) 208.95	319.53
पूंजीगत (भारित)							
13	8-भवन एवं सड़कें	30.00	0.00	30.00	16.49	(-) 13.51	19.06
14	24-सिंचाई	70.00	0.00	70.00	57.61	(-) 12.39	13.83
15	लोक ऋण भारत	9944.97	0.00	9944.97	6338.85	(-) 3606.12	3606.19
	कुल	35315.15	911.00	36226.15	27413.15	(-) 8813.00	9158.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	6-वित्त	6679.34	1793.40	8472.74	8848.34	375.60	11.99
राजस्व (भारित)							
2	6-वित्त	11277.19	624.37	11901.56	11975.44	73.88	10.25
पूँजीगत (दत्तमत)							
3	24-सिंचाई	764.17	60.65	824.82	915.94	91.12	278.19
	कुल	18720.70	2478.43	21199.13	21739.72	540.59	300.43
राजस्व (दत्तमत)							
1	15-स्थानीय शासन	3869.64	1572.05	5441.69	3978.76	(-) 1462.93	1462.93
2	29-मछली पालन	87.92	0.00	87.92	45.31	(-) 42.61	42.61
3	43-जेले	233.31	24.50	257.81	207.44	(-) 50.37	50.37
पूँजीगत (दत्तमत)							
4	8-भवन एवं सड़कें 7-आयोजना एवं सांख्यिकी	415.00	0.00	415.00	304.24	(-) 110.76	110.76
5	9-शिक्षा	100.00	0.00	100.00	0.00	(-) 100.00	100.00
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	50.00	0.00	50.00	34.95	(-) 15.05	15.05
7	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	584.65	169.49	(-) 415.16	415.16
8	14-शहरी विकास	1000.00	500.00	1500.00	1000.00	(-) 500.00	500.00
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	38.86	0.00	38.86	24.56	(-) 14.30	14.30
10	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	14.98	0.00	14.98	3.50	(-) 11.48	11.48
11	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.92	0.00	12.92	0.42	(-) 12.50	12.50
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9846.51	0.00	9846.51	9098.06	(-) 748.45	748.45
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1200.00	0.00	1200.00	0.00	(-) 1200.00	1200.00
14	22-सहकारिता	128.71	206.87	335.58	290.36	(-) 45.22	45.22
15	34-परिवहन	272.36	0.00	272.36	226.72	(-) 45.64	45.64
16	35-पर्यटन	67.20	0.00	67.20	16.72	(-) 50.48	50.48
17	36-गृह	255.00	53.00	308.00	225.85	(-) 82.15	82.15
18	40-एनर्जी एवं पावर	1605.34	3994.93	5600.27	5454.44	(-) 145.83	145.83
	कुल	19714.35	6419.40	26133.75	21080.82	(-) 5052.93	5052.93
59	सकल योग	112349.34	11552.12	123901.46	101938.34	540.60 (-) 22503.71	22731.21

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013-मंत्री परिषद	155.80	85.74	55.03	61.37	39.39
2	04-राजस्व	2705-कमांड एरिया डिवेलपमेंट	53.20	29.26	55.00	15.96	30.00
3	05-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएं	14.17	14.17	100.00	14.17	100.00
4	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	304.24	178.34	58.62	138.15	45.41
5	08-भवन एवं सड़क	3054-सड़कें और पुल	933.83	518.43	55.52	424.14	45.42
6		2216-आवास	37.99	22.09	58.15	17.02	44.80
7	11-खेल और युवा कल्याण	4202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	34.95	25.95	74.25	24.95	71.39
8	21-महिला और बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	61.54	47.21	76.71	28.73	46.69
9	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	215.44	192.24	89.23	186.86	86.73
10		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	372.18	259.25	69.66	220.86	59.34
11		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	199.62	104.60	52.40	93.26	46.72
12	26-खदान तथा भू-विज्ञान	2853-अलोह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	64.21	32.15	50.07	16.65	25.93

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
13	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.09	14.09	100.00	0.12	0.85
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2505-ग्रामीण रोजगार	211.07	150.69	71.39	100.80	47.76
15	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	390.52	260.03	66.59	159.40	40.82
16		2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	139.14	110.98	79.76	75.35	54.15
17	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	289.12	284.24	98.31	76.51	26.46
18	37-चुनाव	2015-चुनाव	33.76	18.00	53.32	12.44	36.85
19	39-सूचना और प्रचार	4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	49.38	49.38	100.00	0.00	-
20	40-एनर्जी एवं पावर	2810-नई और अक्षय ऊर्जा	28.46	16.44	57.77	15.57	54.71
21		2801-ऊर्जा	7603.06	3967.00	52.18	2000.38	26.31
कुल			11205.77	6380.28	56.94	3682.69	32.86

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

भुगतान के समर्थन में वाउचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाउचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	40	0.36
2.	भिवानी	105	0.77
3.	चण्डीगढ़	2	0.01
4.	फरीदाबाद	37	0.39
5.	फतेहाबाद	2	0.00 ¹
6.	गुरुग्राम	27	1.69
7.	हिसार	7	0.07
8.	जगाधरी	29	0.33
9.	झज्जर	6	0.02
10.	जींद	5	0.02
11.	कैथल	5	0.02
12.	करनाल	106	1.72
13.	कुरुक्षेत्र	5	0.08
14.	नारनौल	41	0.15
15.	नूंह	3	0.19
16.	पानीपत	18	0.19
17.	पंचकूला	26	0.07
18.	रेवाड़ी	23	0.33
19.	रोहतक	13	0.08
20.	सिरसा	13	0.22
21.	सोनीपत	18	0.17
कुल		531	6.88

¹ ₹ 22,449

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 60)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	पशुपालन	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	4.00	-
2.	मछली पालन	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की स्कीम/जिसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) के रूप में नाम दिया गया	12.63	-
3.		मछली पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंगसुदृढीकरण/जिसे मछली पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग के सुदृढीकरण के रूप में नाम दिया गया-स्थापना व्यय	1.30	-
4.	राजिस्ट्रार,	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक चंडीगढ़	3.00	-
5.	सहकारी समितियां, हरियाणा	प्राथमिक सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास को शेर पंजी में सरकारी योगदान	3.00	-
6.		सहकारी चीनी मिलों में पावर कोजेनेरेशन और इथेनॉल प्लांट की स्थापना	5.00	-
7.		ग्रामीण भण्डारण आई.सी.डी.पी.	1.27	-
8.	ऊर्जा	उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-ह.वि.प्र.नि.लि. को सहायता अनुदान	171.00	-
9.		उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-द.ह.बि.वि.नि.लि. को सहायता अनुदान	1446.66	-
10.		उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-उ.ह.बि.वि.नि.लि. को सहायता अनुदान	2274.84	-
11.	उद्योग	क्षेत्रीय कार्यालयों/कार्यालय परिसर निदेशालय का आधुनिकीकरण	10.00	-
12.	पर्यटन	स्वदेश दर्शन योजना के लिए परियोजना	20.00	-
13.		राज्य में पर्यटक स्थलों पर मल्टीमीडिया/लेजर शो के विकास के लिए योजना	2.00	-
14.		महेन्द्र-माधोगढ़ के लिए गंतव्य के रूप में पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	2.00	-
15.		यमुना नगर-पंचकूला-पाँटा साहिब के लिए मेगा सर्किट के रूप में बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
16.		गंतव्य के रूप में पंचकूला के लिए पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
17.		गंतव्य के रूप में हिसार के लिए पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	2.00	-
18.		पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर के प्रमुख सर्किट के रूप में पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
19.	शिक्षा (माध्यमिक) (ई.डी.एस.)	वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च विद्यालयों (नाबाई) में लड़कियों के लिए अलग शौचालय/हैंडपंप का निर्माण	100.00	-
20.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)	पंचकूला में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	25.00	-
21.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण- (डब्ल्यू.एस.बी.)	50% से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति के गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	5.00	-
22.	श्रम	श्रम न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए भूखंड की खरीद	2.00	-
23.	कौशल विकास और	आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	4.50	-
24.	औद्योगिक प्रशिक्षण-	कौशल विकास पहल	6.00	-
25.	(आई.टी.वी.)	आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा	1.06	-
कुल			4105.26	-

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 60)

स्कीमों (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	पशुपालन	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा की स्कीम	5.00	2.00
2.	वन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन)	20.00	4.00
3.	राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेरर पूंजी	5.00	1.00
4.	ग्रामीण विकास	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	80.00	1.00
5.	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम -सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण और आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष	10.00	5.00
6.	विकास	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता स्कीम	20.00	1.00
7.	पंचायत	बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए हरियाणा ग्राम उदय योजना जिसे दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के रूप में नाम दिया गया	1200.00	0.01
8.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	0.10
9.	ऊर्जा	आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबाई से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	240.00	54.16
10.	विज्ञान और तकनीक	सोनीपत में साईस सिटी की स्थापना	80.00	0.01
11.	शिक्षा (प्राथमिक)	स्वर्ण जयंती प्रोग्राम -स्वच्छ प्रांगण	30.00	1.00
12.	तकनीकी शिक्षा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना	10.00	0.01
13.		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना	10.00	5.00
14.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	राज्य में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल/कॉलेजों का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	5.00	0.01
15.		नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	5.00	0.50
16.		स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	99.50	10.50
17.		जींद में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	25.00	2.00
18.		भिवानी में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	50.00	2.00
19.	पुलिस	क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टॉफ	7.78	0.01
20.	शहरी स्थानीय निकाय	अग्नि सेवाओं का सुदृढीकरण	35.00	17.00
21.		राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	36.20	24.00
22.		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	8.90	6.00
23.		राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक जिसे प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एस.सी. घटक के रूप में नाम दिया गया	13.20	4.00
24.	खाद्य और आपूर्ति	गोदामों का निर्माण -नाबाई योगदान	9.50	4.50
25.	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	5.75	0.12
	कुल		2110.83	144.93

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	बायो-गैस संयंत्र स्थापित करना	3.00	3.00
2.	राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा	विपणन सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकारी योगदान	1.00	1.00
3.	ग्रामीण विकास	संसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जे.वाई.)	2.50	2.50
4.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	बी.एम.एल.-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देश्यीय लिंक चैनल	1.00	1.00
5.	शिक्षा (प्राथमिक)	स्कूल भवन का निर्माण	25.00	25.00
6.	खेल और युवा	खेल और क्रीड़ा	1.00	1.00
7.	कल्याण	बुनियादी ढांचा योजना	10.25	10.25
8.	शहरी स्थानीय निकाय	दूध डेयरी का स्थानांतरण	5.00	5.00
9.	एस.सी., एस.टी.,	गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल	1.00	1.00
10.	और अन्य ओ.बी.सी. का	डॉ अम्बेडकर प्री-मैट्रिक और डीनोटिफाइड जनजातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (डी.एन.टी.)	4.00	4.00
11.	कल्याण	ओ.बी.सी. लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	5.00	5.00
12.		हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन के लिए 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मिलान सहायता	3.48	3.48
13.		हॉस्टल के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख योजना	4.00	4.00
14.		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5.50	5.50
15.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन सुगम्य भारत अभियान (एस.आई.पी.डी.ए.)	12.00	12.00
		कुल	83.73	83.73

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	8.00	13.20	1.20	15
2.	वन	एकाधिक उपयोग क्षेत्र में वन्य जीवन संरक्षण	4.00	4.81	2.73	68
3.	उद्योग	हैंडलूम, हस्तशिल्प और निर्यात का प्रचार	1.25	1.76	0.64	51
4.	शिक्षा (प्राथमिक)	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5.17	6.29	2.79	54
5.	पुरातत्व और संग्रहालय	प्राचीन स्मारकों की साइट्स का संरक्षण/संरक्षण विकास	2.50	2.53	1.27	51
6.	तकनीकी शिक्षा	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण-स्थापना व्यय	4.00	5.50	2.61	65
7.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	नलहर में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण -भवन निर्माण (राज्य योगदान)	70.00	110.00	5.45	8
8.	स्वास्थ्य	डी-एडिक्शन सेंटर का सुदृढीकरण/खोलना	1.94	2.23	1.48	76
9.	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी	60.20	120.00	17.24	29
10.	जेलें	जेलों का आधुनिकीकरण	10.00	24.57	1.81	18
	कुल		167.06	790.89	37.22	22

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरक के भंडारण और वितरण की स्कीम	27.50	25.00	15.17	61
2.		आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. जिसे राष्ट्रीय तेल बीज और ऑयलपाम मिशन (एन.एम.ओ.पी.ओ.) का नाम दिया गया	20.00	3.71	2.78	75
3.		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	32.00	22.00	9.93	45
4.		राज्य विस्तार कार्यक्रमों में विस्तार सुधार के लिए केंद्र सेंक्टर स्कीम को समर्थन की स्कीम	32.00	16.55	11.67	71
5.		संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जिसे प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना के रूप में नाम दिया गया	300.00	200.00	144.94	72
6.		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	8.00	1.60	0.68	42
7.	बागवानी	बागवानी के सुदृढ़ीकरण की स्कीम	9.00	8.06	6.01	75
8.		हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	11.00	8.45	6.42	76
9.		अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सतत कृषि पर सूक्ष्म सिंचाई/राष्ट्रीय मिशन की स्कीम	15.00	1.92	0.79	41
10.		मछली पालन	सजावटी मछली पालन की स्कीम	10.00	6.68	1.18
11.		फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का विकास	16.40	14.77	4.99	34
12.	वन	शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट	13.75	10.00	6.22	62
13.		अभ्यारणों का सुदृढ़ीकरण, विस्तार और सुधार	6.00	5.19	2.07	40
14.	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास के लिए गांव के युवा स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता	10.00	8.00	2.51	31
15.		पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक ऑफिस भवन का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	40.00	15.00	6.27	42
16.		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की स्कीम	60.00	2.00	1.05	53
17.		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता की स्कीम -सामान्य योजना	168.00	75.00	28.83	38
18.		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता की स्कीम -अनुसूचित जाति के लिए	107.50	50.00	10.83	22
19.	पंचायत	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	82.50	30.00	9.49	32
20.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	जल निकायों -नहर का निर्माण	25.00	20.00	8.76	44
21.	नई और अक्षय ऊर्जा विभाग	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रचार - सामान्य योजना	99.21	51.41	25.04	49

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
22.	उद्योग	औद्योगिक आधारभूत संरचना का निर्माण उन्नयन और रखरखाव जिसे नई उद्यम प्रमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में नाम दिया गया	150.00	40.00	14.13	35
23.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क)	उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/पारगमन फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती स्कीम	20.00	1.00	0.01	1
24.		हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	15.00	6.00	4.53	76
25.		हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	70.00	19.00	13.00	68
26.		ग्रामीण सड़कें - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाई-पास	40.00	25.00	5.00	20
27.		जिला सड़कें - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण	40.00	10.00	4.00	40
28.	परिवहन आयुक्त हरियाणा	नियामक विंग के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण	16.00	10.25	0.94	9
29.	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार कक्षा I-V (पूर्णकालिक)	250.00	137.00	104.18	76
30.		अनुसूचित जाति कक्षा I से VIII के लिए नकद पुरस्कार योजना	85.00	70.00	55.07	79
31.		स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों में शिक्षक प्रदान करना	100.00	10.00	2.22	22
32.		सर्व शिक्षा अभियान	741.38	631.74	452.30	72
33.	शिक्षा (उच्च)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	100.00	60.00	34.56	58
34.	शिक्षा (सेकेंडरी)	स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन	96.57	55.57	33.80	61
35.		माध्यमिक स्तर पर विकलांग के लिए समावेशी शिक्षा	16.00	12.72	9.24	73
36.		शैक्षणिक रूप से पिछड़े खंडों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण और संचालन	12.78	11.65	0.17	1
37.		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	400.00	311.70	227.14	73
38.	तकनीकी शिक्षा	राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना	20.00	10.00	6.40	64
39.	खेल और युवा कल्याण	स्वर्ण जयंती उत्सव स्कीम	80.00	35.00	20.91	60
40.		खेल उपकरण	22.00	5.00	3.92	78
41.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए मुख्य मंत्री मुफ्त इलाज योजना - पंडित बी.डी. शर्मा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	20.00	19.00	12.78	67
42.		निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा के कार्यालय की स्थापना	7.00	5.78	3.78	65
43.		बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक का निर्माण कार्य- भवन का निर्माण	137.10	80.00	61.00	76
44.	स्वास्थ्य	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व	9.04	7.46	5.57	75
45.		जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	16.20	12.54	9.54	76
46.		राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	5.70	4.20	3.21	76
47.		ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	8.70	7.86	6.09	78

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
48.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	70.00	25.00	15.46	62
49.	शहरी स्थानीय निकाय	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की स्कीम	10.00	5.00	0.05	1
50.		नया शहरी नवीनीकरण मिशन (अमरुत)	440.00	400.00	123.50	31
51.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के रूप में नाम दिया गया	38.00	8.00	0.80	10
52.		अल्पसंख्यक एकीकरण विकास की स्कीम जिला मेवात और सिरसा	76.00	40.00	26.71	67
53.		हरियाणा में निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉटों की खरीद जिसे निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के भवन के निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉट की खरीद के रूप में नाम दिया गया	5.00	2.00	1.15	58
54.	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	मशीनरी और उपकरण का आधुनिकीकरण	30.00	28.93	20.49	71
55.	राजस्व	उत्पाद शुल्क और कराधान	25.00	15.00	6.15	41
	कुल		4,265.33	2,697.74	1,593.43	59

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीम	5.50	3.95	72
2.		हरियाणा किसान आयोग की स्कीम या निर्माण	3.00	2.03	68
3.	वन	भवन	7.00	5.38	77
4.		हर्बल नेचर पार्क	5.50	3.69	67
5.		टिकाऊ कृषि (एन.एम.एस.ए.) केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि-वानिकी	6.00	1.24	21
6.		राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी/वनीकरण गतिविधियां	15.00	10.71	71
7.	पंचायत	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूची जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य	9.00	7.14	79
8.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) प्रणाली की क्षमता में सुधार	30.00	16.57	55
9.		नहर का निर्माण	135.00	98.30	73
10.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क)	हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण। नाबाई स्कीम के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	30.00	22.24	74
11.	शिक्षा (प्राथमिक)	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए छात्रों को मासिक वजीफा	60.00	21.71	36
12.		कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	12.00	2.00	17
13.		कक्षा I-VIII कक्षा में सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा	170.00	71.71	42
14.		कक्षा VI में छात्र एस.सी. लड़के के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	1.63	27
15.		मिड डे-मील स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम	45.00	29.53	66
16.		शिक्षा (सेकेंडरी)	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए छात्रों को मासिक वजीफा	40.00	24.41
17.	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा		8.00	3.44	43
18.	कक्षा 9 और 11 वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना		10.00	3.41	34

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
19.	खेल और युवा कल्याण	खेल गतिविधियों का प्रचार (ई. एंड टी.)	59.00	41.30	70
20.		खेल पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना - सामान्य योजना	5.00	1.11	22
21.		अनुसूचित जातियों के लिए बुनियादी ढांचा योजना	16.00	10.69	67
22.		पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) जिसे खेलो इंडिया के रूप में नाम दिया गया - खेलों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम -केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहायतानुदान	14.30	1.75	12
23.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य योगदान)	30.00	0.86	3
24.	स्वास्थ्य	पी.एच.सी./सी.एच.सी. के लिए दवाइयों और सामग्री की खरीद	8.50	5.90	69
25.		शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	5.70	4.05	71
26.		परंपरागत गर्भनिरोधक	5.22	2.95	56
27.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी पेयजलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत सृजित स्थापनाओं का रखरखाव	15.00	10.96	73
28.		ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति और सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा	50.00	20.83	42
29.		ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्चस्व वाले निवासियों के लिए जलापूर्ति	15.00	9.44	63
30.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	14.80	2.85	19
31.		एस.सी.एस.पी. के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत स्थापना का संचालन और रखरखाव	5.20	2.23	43
32.		मरुस्थल विकास कार्यक्रम	75.00	54.29	72
33.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन)	12.00	4.30	36
34.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं सर्विलांस डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.)	5.00	2.00	40
35.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-(सहायक गतिविधियां)	8.35	3.10	37
36.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-स्थिरता (केंद्रीय)	12.35	3.58	29
37.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-कवरेज सेंट्रल	75.00	49.43	66

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
38.	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20.00	8.80	44
39.		समार्ट सिटी	400.00	204.00	51
40.	नगर एवं ग्राम आयोजना	दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायतानुदान	42.00	0.46	1
41.	सांस्कृतिक मामले	हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना	10.00	4.50	45
42.	एस.सी., एस.टी., और अन्य	डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना	40.00	25.06	63
43.		बी.सी. छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	6.00	0.03	1
44.	ओ.बी.सी. का कल्याण - (डब्ल्यू.एस.बी.)	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	35.00	15.00	43
45.		अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	200.00	12.80	6
46.		अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम	12.00	4.35	36
47.		डेयरी पिगरी और अन्य स्कीमों जैसी पारंपरिक स्कीमों के लिए सब्सिडी	7.95	4.92	62
48.		बी.सी. छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00	3.00	10
49.	महिला और बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - राज्य का योगदान	68.08	21.19	31
50.		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - नाबार्ड योगदान	28.50	16.96	60
51.		आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	16.55	6.44	39
52.		एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	25.00	13.75	55
53.		आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (उदिशा परियोजना)	5.00	2.38	48
54.		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	51.68	10.95	21
55.		किशोरियों के लिए स्कीम	18.26	5.57	31
56.	खाद्य और आपूर्ति	टी.पी.डी.एस. का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	22.44	16.31	73
		कुल	2,066.88	937.18	45

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii तथा ix); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण	हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड की स्थापना	-	1.20	0.90	75
2.		सरकारी आई.टी.आई. में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम	-	2.35	0.03	1
3.	महिला और बाल विकास	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	-	4.92	1.80	37
		कुल	-	8.47	2.73	32

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
2.	शिक्षा (प्राथमिक)	सर्व शिक्षा अभियान	148.28	166.53	213.77	128
3.	स्वास्थ्य	टीकाकरण कार्यक्रम	6.75	18.00	23.42	130
		कुल	155.03	184.53	237.19	129

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत वैट/जी.एस.टी. प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति	16.98
2.		कृषि कार्यालय भवन का निर्माण	1.72
3.	शिक्षा (प्राथमिक)	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के भवनों का निर्माण	1.00
4.	स्वास्थ्य	दीन दयाल नवजात शिशु योजना	2.00
5.	पुलिस	हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	9.20
		कुल	30.90

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय
1.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	अनाथों और वृद्धों लिए घर जिसे वृद्धों और अशक्तों के लिए घर के रूप में नाम दिया गया रेवाड़ी, (स्वर्ण जयंती परियोजना)	0.10	6.00	0
2.	होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस	नागरिक रक्षा में सुधार	2.45	3.12	0
		कुल	2.55	9.12	0

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (xi); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	10.08	17.64	12.39	70
2.	ऊर्जा	डी.एच.बी.वी.एन.एल. को साम्या पूंजी	41.50	110.46	41.50	38
3.		यू.एच.बी.वी.एन.एल. को साम्या पूंजी	41.50	122.78	78.10	64
4.		एच.पी.जी.सी.एल. को साम्या पूंजी	13.60	24.44	13.60	56
5.		डी.एच.बी.वी.एन.एल. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को बिजली की गुणवत्ता में सुधार और बिजली की अबाधित आपूर्ति	27.84	38.92	27.84	72
6.	पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर)	हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य शेर प्रदान करना	250.00	350.00	246.34	70
7.	आयुष	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढीकरण और महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों के लिए विशेष दवाएं	7.85	7.95	6.29	79
8.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	35.50	52.25	31.62	61
9.	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी स्थानीय निकाय के लिए वैंट पर सरचार्ज का हिस्सा	522.71	1700.00	1314.43	77
10.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण - (डब्ल्यू.एस.बी.)	अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	7.00	10.00	7.00	70
11.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	7.50	15.00	9.99	67
12.	महिला और बाल विकास	मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एम.बी.पी.) जिसे प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के रूप में नाम दिया गया	22.00	56.09	20.75	37
		कुल	987.08	2,505.53	1,809.85	72

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 62)

उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	राजस्व (दत्तमत)	(₹ करोड़ में)			
1	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना (2203-001-91)	25.00	11.25	13.75	55
2	तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाँफ) (2203-001-93)	6.99	5.37	1.62	23
3	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) (2203-001-97-98)	4.00	2.61	1.39	35
4	गांव दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2203-102-95)	5.00	2.25	2.75	55
5	वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक (2203-104-97)	6.80	4.76	2.04	30
6	पॉलिटैक्निकस के माध्यम से सामुदायिक विकास (2203-105-55)	2.00	0.10	1.90	95
7	सरकारी पॉलिटैक्निक का विकास (स्थापना व्यय) (2203-105-59-98)	153.25	125.53	27.72	18
8	मौजूदा पॉलिटैक्निक का आधुनिकीकरण (2203-105-82)	6.00	0.00	6.00	100
9	राज्य में नए सरकारी पॉलिटैक्निकस की स्थापना (2203-108-89)	20.00	6.40	13.60	68
10	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना (2203-112-90)	5.00	3.02	1.98	40
11	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-112-91)	10.00	0.00	10.00	100
12	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना (2203-112-92)	10.00	0.00	10.00	100
	कुल राजस्व (दत्तमत)	254.04	161.29	92.75	37

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 62)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) (2203-001-97-98)	2015-16	2.25	1.93	0.32	14
		2016-17	2.79	2.12	0.67	24
		2017-18	4.00	2.61	1.39	35
2	मौजूदा पॉलटेक्निकों का आधुनिकीकरण (2203-105-82)	2015-16	3.00	0.00	3.00	100
		2016-17	10.00	8.51	1.49	15
		2017-18	6.00	0.00	6.00	100
3	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-112-91)	2015-16	10.00	0.00	10.00	100
		2016-17	10.00	5.00	5.00	50
		2017-18	10.00	0.00	10.00	100
4	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना (2203-112-92)	2015-16	15.00	0.00	15.00	100
		2016-17	20.00	5.00	15.00	75
		2017-18	10.00	0.00	10.00	100
5	अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (2203-789-96)	2015-16	5.00	0.06	4.94	99
		2016-17	5.00	0.06	4.94	99
		2017-18	0.25	0.05	0.20	81
6	अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति (2203-789-97)	2015-16	1.00	0.00	1.00	100
		2016-17	1.00	0.00	1.00	100
		2017-18	1.00	0.84	0.16	16
7	सरकारी पॉलटेक्निक भवनों में एडीशन एंड आल्ट्रेडेशन (2203-800-99)	2015-16	0.05	0.01	0.03	60
		2016-17	0.04	0.02	0.02	50
		2017-18	0.04	0.02	0.02	50

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (v); पृष्ठ 63)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	संबद्ध सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों/पॉलिटेक्निकों के कर्मचारियों को पेंशन (2203-104-74)	4.85	1.60	33	0.61
2	मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्राम पल्ला, मेवात में न्यू बाँयज़ हॉस्टल का निर्माण (2203-104-73)	1.00	0.55	55	0.55
3	राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निकों की स्थापना (2203-105-89)	6.40	6.40	100	6.40
4	मेरिट-कम-मीनस स्कॉलरशिप (2203-107-98)	0.99	0.32	32	0.11
5	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना (2203-112-90)	3.02	1.18	39	0.61
6	सरकारी पॉलिटेक्निक की मान्यता (स्वर्ण जयंती स्कीम के अंतर्गत) (2203-199-99)	0.10	0.10	100	0.10
7	अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति (2203-797-97)	0.84	0.84	100	0.84
8	प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर लैब की स्थापना (2203-789-93)	0.50	0.50	100	0.50
9	एस.सी. छात्रों को राज्य परिवहन सुविधा/ट्रेन पास की प्रतिपूर्ति (2203-789-92)	0.06	0.06	100	0.02
10	सरकारी पॉलिटेक्निक भवनों में एडीशन एंड आल्ट्रेडेशन (2203-800-91)	0.02	0.01	50	0.00
	कुल	17.78	11.56	65	9.75

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 64)

उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ पांच करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	23.43	0.90	22.53	96.16
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	90.51	4.17	86.34	95.39
3	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	47.41	3.99	43.42	91.58
4	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	352.08	29.05	323.03	91.75
5	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	23.93	1.27	22.66	94.69
6	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	48.34	15.17	33.17	68.62
7	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	37.72	8.71	29.01	76.91
8	नहर क्षेत्र के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.) (2705-190-95)	217.27	105.00	112.27	51.67
	कुल	840.69	168.26	672.43	79.99
	पूँजीगत (दत्तमत)				
1	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-07-800-98)	100.00	0.00	100.00	100.00
2	नहर नेटवर्क की बहाली-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	94.00	58.87	35.13	37.37
3	अन्य व्यय: पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन). प्रणाली की क्षमता में सुधार (4700-13-800-97)	30.00	16.57	13.43	44.77
4	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-13-800-98)	135.00	98.30	36.70	27.19
5	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	35.00	14.94	20.06	57.31
6	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-16-800-98)	25.00	8.76	16.24	64.96
7	अन्य व्यय: भूमि की वार्षिकता (4701-06-800-97)	20.00	14.66	5.34	26.70
8	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	69.50	62.15	7.35	10.58
9	अन्य व्यय: नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई (4701-07-800-97)	10.65	0.00	10.65	100.00
10	अन्य व्यय: जल निकायों -नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	25.00	3.17	21.83	87.32
11	बाढ़ संरक्षण और आपदा तैयारी (4711-01-201-99)	75.00	58.83	16.17	21.56
12	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, बहाली और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	50.00	34.58	15.42	30.84
	कुल पूँजीगत (दत्तमत)	669.15	370.83	298.32	44.58
	पूँजीगत भारित				
1	अन्य व्यय: भूमि मुआवजे का भुगतान (4701-80-800-98)	70.00	57.61	12.39	17.70
	कुल पूँजीगत (भारित)	70.00	57.61	12.39	17.70

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 64)

अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचत (₹ एक करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
	1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
राजस्व (दत्तमत)						
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	23.43	0.91	22.52	3.81	18.71
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	90.51	4.17	86.34	15.06	71.28
3	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-01-001-92)	2.77	0.15	2.62	0.64	1.98
4	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	47.41	3.99	43.42	7.47	35.95
5	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	352.08	29.05	323.03	59.76	263.27
6	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	23.93	1.27	22.66	6.87	15.79
7	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	48.34	15.17	33.17	6.14	27.03
8	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-18-001-92)	5.00	0.70	4.30	1.86	2.44
9	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-18-001-93)	6.00	1.67	4.33	1.39	2.94
10	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	37.72	8.71	29.01	6.27	22.74
कुल राजस्व (दत्तमत)		637.19	65.79	571.40	109.27	462.13
पूँजीगत (दत्तमत)						
1	नहर नेटवर्क की बहाली -राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	94.00	58.87	35.13	33.93	1.20
2	अन्य व्यय: बी.एम.एल. की रेस्टोरेशन क्षमता (4700-15-800-98)	7.00	2.69	4.31	2.52	1.79
3	राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	69.50	62.15	7.35	2.05	5.30
4	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, रेस्टोरेशन और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	50.00	34.58	15.42	15.07	0.35
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		220.50	158.29	62.21	53.57	8.64

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vi); पृष्ठ 65)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	मूल बजट
1	2700-80-192-99	हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को अनुदान	0.01
2	2700-80-800-96	नहर में दरार के कारण किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए मुआवजा	0.25
3	2701-08-001-91	कार्यकारी अभियंता	0.70
4	2701-10-001-91	कार्यकारी अभियंता	0.25
5	4700-07-800-98	नहर का निर्माण	100.00
6	4700-15-800-97	बी.एम.एल.-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देश्यीय लिंक चैनल	1.00
7	4700-25-800-98	नहर का निर्माण	0.10
8	4701-07-800-97	नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	10.65
9	4701-19-800-98	नहर का निर्माण	1.00
10	4701-22-800-98	नहर का निर्माण	0.01
11	4701-23-800-97	जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली	0.01
12	4701-80-052-99	संस्थागत सुदृढीकरण डेटा संग्रह इत्यादि	0.05
	कुल		114.03

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vii); पृष्ठ 65)

स्कीमों के विवरण जिनमें 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 24 के अंतर्गत प्रावधान के बिना व्यय (₹ दो करोड़ से अधिक) किया गया था

क्र. सं.	व्यय का लघु/उप-शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिम जमुना नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	2.40
2	2700-मुख्य सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	2.50
3	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	5.70
4	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	67.13
5	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	5.76
6	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	19.46
7	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	108.67
8	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	5.26
9	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	8.26
10	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम की बहाली, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	2.65
11	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम की बहाली, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	14.82
12	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	2.63
13	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	16.42
14	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	8.82
15	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	55.09
16	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	3.05
17	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	4.96
18	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	4.24
19	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	26.47
20	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	2.38
21	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	8.55
22	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	59.73
23	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	2.54
24	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	4.06
	कुल	441.55

परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (viii); पृष्ठ 65)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों (₹ पांच करोड़ से अधिक) से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत मुख्य स्कीम वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	2015-16	24.78	0.91	23.87	96
		2016-17	23.71	1.17	22.54	95
		2017-18	23.43	0.90	22.53	96
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	2015-16	90.85	3.89	86.96	96
		2016-17	92.42	5.13	87.29	94
		2017-18	90.51	4.17	86.34	95
3	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	2015-16	48.18	4.36	43.82	91
		2016-17	47.76	4.17	43.59	91
		2017-18	47.41	3.99	43.42	92
4	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	2015-16	382.97	33.49	349.48	91
		2016-17	351.50	35.14	316.36	90
		2017-18	352.08	29.05	323.03	92
5	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	2015-16	25.08	1.75	23.33	93
		2016-17	23.08	1.74	21.34	92
		2017-18	23.93	1.27	22.66	95
6	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	2015-16	44.66	10.33	34.33	77
		2016-17	48.26	10.49	37.77	78
		2017-18	48.34	15.17	33.17	69
7	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	2015-16	35.21	6.89	28.32	80
		2016-17	37.25	7.87	29.38	79
		2017-18	37.72	8.71	29.01	77
8	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	2015-16	36.60	3.82	32.78	90
		2016-17	47.00	31.64	15.36	33
		2017-18	94.00	58.87	35.13	37
9	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-13-800-98)	2015-16	103.40	58.38	45.02	44
		2016-17	134.00	117.80	16.20	12
		2017-18	135.00	98.30	36.70	27
10	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	2015-16	30.00	4.79	25.21	84
		2016-17	35.00	7.05	27.95	80
		2017-18	35.00	14.94	20.06	57
11	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	2015-16	69.50	25.38	44.12	63
		2016-17	69.50	30.18	39.32	57
		2017-18	69.50	62.15	7.35	11
12	अन्य व्यय: जल निकाय - नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	2015-16	20.00	6.12	13.88	69
		2016-17	10.00	1.17	8.83	88
		2017-18	25.00	3.17	21.83	87
13	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, बहाली और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	2015-16	35.00	8.28	26.72	76
		2016-17	40.00	14.11	25.89	65
		2017-18	50.00	34.58	15.42	31

परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ix); पृष्ठ 65)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		पिछले महीने व्यय
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	
1	अन्य रखरखाव कार्य (2700-04-101-98)	2.30	2.25	98	2.25
2	ऊर्जा प्रभार (2701-08-800-98)	12.57	5.17	41	3.39
3	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	58.87	42.99	73	37.91
4	अन्य व्यय: पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) प्रणाली की क्षमता में सुधार (4700-13-800-97)	16.57	16.57	100	14.41
5	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्य और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	14.94	7.73	52	6.03
6	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	62.15	37.85	61	33.02
7	अन्य व्यय: जल निकाय - नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	3.17	1.28	40	0.85
	कुल	170.57	113.84	67	97.86

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

31 मार्च 2018 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग (2852)	2013-14	49	20.04	3	3.78	1	0 ¹	2	3.78
		2014-15	184	39.39	7	10.01	4	0.01	3	10.00
		2015-16	28	31.02	21	27.36	15	5.06	6	22.30
		2016-17	36	61.70	36	61.70	20	26.82	16	34.88
2	पशु पालन (2403)	2015-16	43	82.77	30	11.91	22	11.31	8	0.60
		2016-17	74	88.01	74	88.01	41	86.85	33	1.16
3	ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)	2016-17	9	1.41	9	1.41	2	0.63	7	0.78
4	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	10	16.06	6	3.78	4	12.28
		2015-16	355	50.55	44	21.42	36	16.65	8	4.77
		2016-17	137	4.84	137	4.84	135	4.72	2	0.12
5	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	84	44.15	15	11.37	69	32.78
		2016-17	56	90.69	56	90.69	5	8.02	51	82.67
6	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	9	3.70	1	2.69	8	1.01
		2015-16	1,063	1,542.62	60	782.26	23	689.11	37	93.15
		2016-17	1332	1618.88	1332	1618.88	1265	1423.76	67	195.12
7	ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)	2009-10	68	366.26	10	18.90	9	8.05	1	10.85
		2010-11	48	267.83	13	51.58	4	8.75	9	42.83
		2011-12	442	808.23	104	302.25	42	119.53	62	182.72
		2012-13	401	961.88	142	326.50	79	154.44	63	172.06
		2013-14	410	1353.50	178	645.61	85	145.85	93	499.76
		2014-15	4036	1525.02	216	836.81	109	200.71	107	636.10
		2015-16	3893	1547.46	376	1254.63	185	560.05	191	694.58
		2016-17	4173	2481.74	4173	2481.74	3984	1124.19	189	1357.55
8	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2014-15	79	52.04	2	8.34	0	0 ¹	2	8.34
		2015-16	103	64.19	63	54.00	37	45.83	26	8.17
		2016-17	87	69.16	87	69.16	36	10.94	51	58.22

¹ नगण्य राशि।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
9	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	47	860.27	20	497.14	27	363.13
		2013-14	73	1,120.80	44	960.70	20	524.40	24	436.30
		2014-15	87	1,115.43	73	958.64	27	500.33	46	458.31
		2015-16	122	1,478.70	112	1,420.20	36	805.27	76	614.93
		2016-17	219	2,227.25	219	2,227.25	42	732.96	177	1,494.29
10	फसल पालन (2401)	2016-17	12	176.50	12	176.50	10	155.77	2	20.73
11	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2016-17	20	29.70	20	29.70	17	23.53	3	6.17
12	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	11	9.60	6	4.95	5	4.65
		2016-17	37	13.05	37	13.05	35	12.22	2	0.83
13	सूचना एवं प्रचार (2220)	2016-17	91	13.41	91	13.41	55	1.29	36	12.12
14	पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	10	1.78	9	1.68	1	0.10
		2015-16	8	2.15	7	1.75	3	1.40	4	0.35
		2016-17	4	1.62	4	1.62	0	0	4	1.62
15	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2015-16	5	0.57	5	0.57	0	0	5	0.57
		2016-17	2	0.59	2	0.59	0	0	2	0.59
16	नागर विमानन (3053)	2016-17	5	1.00	5	1.00	4	0.60	1	0.40
17	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	6	3.34	2	0.03	4	3.31
		2016-17	4	10.00	4	10.00	0	0	4	10.00
18	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2015-16	21	212.59	15	102.08	13	100.51	2	1.57
		2016-17	20	154.10	20	154.10	17	151.77	3	2.33
19	श्रम एवं रोजगार (2230)	2015-16	12	18.15	12	18.15	10	13.40	2	4.75
		2016-17	2	0.44	2	0.44	0	0	2	0.44
20	सिविल आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	26	3.08	0	0	26	3.08
		2016-17	3	149.08	3	149.08	0	0	3	149.08
21	चिकित्सा (2210)	2016-17	78	935.68	78	935.68	76	934.57	2	1.11
22	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	102	227.06	92	183.60	10	43.46
कुल			19,130	23,877.22	8,243	17,115.34	6,655	9,314.54	1,588	7,800.80

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 69)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय एम.पी.एन. महाविद्यालय, मुलाना (अंबाला)	2011-12 2014-15 2015-16 2016-17	1.75 2.18 2.42 2.35
2.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अंबाला	2012-13 2013-14 2015-16 2016-17	1.16 1.00 1.21 1.03
3.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2015-16 2016-17	2.17 2.09
4.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16 2016-17	7.54 6.76
5.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2014-15 2015-16 2016-17	1.80 2.10 1.72
6.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	1.42 1.50 2.05 1.82
7.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.46 2.90 2.89 2.83
8.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2016-17	2.02
9.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीक, कैथल	2013-14 2015-16 2016-17	2.42 2.54 2.65
10.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.51 2.52 3.18 2.54
11.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	3.09 3.30 3.30 3.91 2.95
12.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2015-16 2016-17	2.83 2.53
13.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2016-17	2.01
14.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.52 2.72 2.89 2.40

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
15.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39 6.37 7.50 4.97
16.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	1.15 1.58 1.50 1.08
17.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15 2015-16 2016-17	0.57 0.85 0.75
18.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14 2015-16 2016-17	1.28 1.53 1.88 1.47
19.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2015-16 2016-17	6.74 5.38
20.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16 2016-17	3.54 3.49 2.98
21.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2015-16 2016-17	2.42 2.45
22.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14 2015-16 2016-17	1.97 1.78 1.36
23.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	5.38 6.41 6.22 6.95 6.23
24.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2014-15 2015-16 2016-17	0.46 1.31 0.01
25.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2014-15 2015-16 2016-17	1.72 1.91 0.99
26.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुरुग्राम	2016-17	1.29
27.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	3.87 4.29 4.51 4.43 5.65 5.77 3.85
28.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2015-16 2016-17	2.36 1.75
29.	डी.ए.वी. सैनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13 2015-16 2016-17	3.07 2.77 2.79 3.47 2.63

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
30.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2014-15 2015-16 2016-17	3.99 3.91 2.95
31.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	0.86 1.04 0.52 0.72 1.03 1.64 0.28
32.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18 1.50 1.27 1.04
33.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	1.55 1.17
34.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	5.48 3.61
35.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16 2016-17	3.39 4.28 2.84
36.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	2.08 1.88
37.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2015-16 2016-17	3.88 3.76
38.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2015-16 2016-17	2.89 2.19
39.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2015-16 2016-17	4.96 4.01
40.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2015-16 2016-17	4.30 3.30
41.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2016-17	1.11
42.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढौरा	2015-16 2016-17	2.08 1.73
43.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2014-15 2015-16 2016-17	3.51 4.10 3.35
44.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2015-16 2016-17	4.41 3.23
45.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2015-16 2016-17	6.55 5.57
46.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2015-16 2016-17	1.29 1.20
47.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16 2016-17	5.66 6.46 5.29
48.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2016-17	3.10

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
49.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	4.59
		2016-17	4.69
50.	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2014-15	2.26
		2015-16	2.03
		2016-17	1.53
51.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2014-15	1.37
		2015-16	1.57
		2016-17	0.94
52.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15	6.39
		2015-16	7.66
		2016-17	5.58
53.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)	2014-15	0.25
		2015-16	0.56
		2016-17	0.61
54.	अखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	9.30
		2015-16	11.54
		2016-17	10.38
55.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.66
		2015-16	0.80
		2016-17	0.63
56.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	3.15
		2015-16	3.86
		2016-17	3.28
57.	एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैंट	2015-16	7.60
		2016-17	5.87
58.	एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरुक्षेत्र	2015-16	0.78
		2016-17	0.68
59.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	7.89
		2016-17	6.08
60.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2014-15	1.61
		2015-16	1.60
		2016-17	1.21
61.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2016-17	4.16
62.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.96
		2015-16	1.21
		2016-17	0.63
63.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2015-16	3.73
		2016-17	2.46
64.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	4.64
		2016-17	3.97
65.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	2.58
		2016-17	2.23
66.	एम.एल.आर. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	0.86
67.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2015-16	0.44
		2016-17	0.42
68.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	1.66
		2016-17	1.55
69.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अंबाला शहर	2016-17	4.85
70.	एम.पी.एन. महाविद्यालय, मुलाना (अंबाला)	2016-17	2.35

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
71.	के.वी.ए. डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2016-17	3.44
72.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2016-17	3.66
73.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2016-17	2.08
74.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2016-17	1.27
75.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2016-17	1.13
76.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2016-17	1.87
77.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2016-17	0.58
78.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	3.47
79.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	5.21
80.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	5.56
81.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	1.59
82.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम	2016-17	1.80
83.	महिला महाविद्यालय, झोझु कलां	2016-17	0.73
84.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2016-17	0.85
85.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2016-17	2.58
		कुल	626.74

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 69)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकुला	2012-13 से 2016-17 तथा 2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2011-12	2016-17	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18 तथा 2018-19 से 2022-23	2016-17	2016-17	2008-09	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.), पंचकुला	2012-13 से 2016-17 तथा 2017-18 से 2021-22	2015-16	2015-16	2012-13	2016-17	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2014-15 से 2018-19	2016-17	2016-17	2013-14	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2015-16 से 2019-20	2016-17	2015-16	2014-15	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2016-17	2015-16	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17	एक वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	2016-17*	-	2011-12	-	2
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16 से 2016-17	दो वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	-सम-	2015-16	2014-15	1999-2000	2016-17	एक वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2016-17	2010-11	1996-97	-	-
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2015-16	2014-15	1996-97	2016-17	एक वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष

² निकाय द्वारा वर्ष 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2016-17	तीन वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला	-सम-	2016-17	2015-16	1996-97	--	--
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16 एवं 2016-17	दो वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2016-17	2014-15	1996-97	--	--
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	2009-10	2015-16 एवं 2016-17	दो वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2016-17	2014-15	2012-13	--	--
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2016-17	2015-16	2008-09	--	--
30.	हरियाणा बिजली नियामक आयोग	-सम-	2016-17	2016-17	2015-16	--	--

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ³	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् पीड़कनाशी/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	अनाज आपूर्ति स्कीम	2015-16	6,908.27	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2011-12	855.22	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				7,782.28	

³ ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशिकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2018 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	विकास एवं पंचायत	-	1 (0.00)*	1 (6.50)	-	-	-	2 (6.50)
2	शिक्षा	9 (25.02)	1 (0.50)	4 (1.20)	-	-	3 (2.05)	17 (28.77)
3	चिकित्सा	2 (0)*	-	-	-	-	-	2 (0)*
4	तकनीकी शिक्षा	-	-	-	1 (6.52)	-	-	1 (6.52)
5	पुलिस	-	-	1 (3.79)	-	-	-	1 (3.79)
6	समाज कल्याण विभाग	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
7	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
8	नगर एवं ग्राम आयोजना	1 (1.44)	-	-	-	-	-	1 (1.44)
9	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1 (3.00)	-	-	-	-	-	1 (3.00)
10	हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	3 (1.17)	-	-	-	-	-	3 (1.17)
11	खजाना एवं लेखा	1 (6.27)	-	-	-	-	-	1 (6.27)
12	आर्थिक और सांख्यिकीय	2 (0.03)	-	-	-	-	-	2 (0.03)
13	श्रम एवं रोजगार	2 (0.15)	-	-	-	-	-	2 (0.15)
14	महिला एवं बाल विकास	1 (0)*	-	-	-	-	-	1 (0)*
15	खेल एवं युवा कल्याण	1 (39.58)	-	-	-	-	-	1 (39.58)
16	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1 (1.61)	2 (16.11)	-	-	-	-	3 (17.72)
17	सिंचाई एवं जल संसाधन	-	3 (0.00)*	8 (5.62)	3 (0.24)	3 (0.00)*	10 (1.07)	27 (6.93)
18	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	1 (0.00)*	-	-	-	-	-	1 (0.00)*
	कुल	28 (86.90)	7 (16.61)	14 (17.11)	5 (9.93)	3 (शून्य)	14 (3.72)	71 (134.27)

अर्थात् ₹ 1.34 करोड़

* शून्य मूल्य उन मामलों में दिया गया है जहां राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
विकास एवं पंचायत	2	6.50	0	0	2	6.50
शिक्षा	14	27.38	3	1.39	17	28.77
चिकित्सा	2	0	0	0	2	0
तकनीकी शिक्षा	1	6.52	0	0	1	6.52
पुलिस	0	0	1	3.79	1	3.79
समाज कल्याण	3	8.63	0	0	3	8.63
परिवहन विभाग	0	0	2	3.77	2	3.77
नगर एवं ग्राम आयोजना	0	0	1	1.44	1	1.44
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1	3.00	0	0	1	3.00
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	3	1.17	0	0	3	1.17
खजाना एवं लेखा	0	0	1	6.27	1	6.27
आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण	1	0.03	1	0	2	0.03
श्रम एवं रोजगार	2	0.15	0	0	2	0.15
महिला एवं बाल विकास	1	0	0	0	1	0
खेल एवं युवा कल्याण	1	39.58	0	0	1	39.58
जन स्वास्थ्य	2	9.61	1	8.11	3	17.72
सिंचाई	22	6.61	5	0.32	27	6.93
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	0	0	1	0	1	0
कुल	55	109.18	16	25.09	71	134.27

अर्थात् ₹ 1.34 करोड़

पारिभाषिक शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज	राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जाएगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचावकृ प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।
ऋण पोषण सक्षमता	ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आ.सा.	आकस्मिक सार
आ.वा.ला.	आपूर्ति की वास्तविक लागत
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
उदय	उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ए.बा.वि.स्की.	एकीकृत बाल विकास स्कीम
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
औ.प्र.सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
क.श. तथा श.	कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें
कु.व्य.	कुल व्यय
कु.त.एवं वा.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
चौ.वि.आ.	चौदहवां वित्त आयोग
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
डिस्कॉमज	वितरण कंपनियों
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
पूं.व्य.	पूंजीगत व्यय
पूं.प.	पूंजीगत परिव्यय
पूं.प्रा.	पूंजीगत प्राप्तियां
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.स.	भारत सरकार
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
म.ले.	महालेखाकार
म.वि.का.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
मा.से.क. (जी.एस.टी.)	माल एवं सेवा कर
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय

यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रा.आ.प्र.नि.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
रा.व्य.	राजस्व व्यय
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
रा.स्त.मॉ.स.	राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
व्य.ले.ले.	व्यक्तिगत लेजर लेखे
व.ले.कं.	वाऊचर लेवल कंप्यूटरीकरण
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
वि.व्य.	विकास व्यय
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
सं.व्य.	संकलित व्यय
सं.औ.वृ.द.	संयोजित औसत वृद्धि दर
स्टे.बैं.ऑ.इं.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.अ.	संशोधित अनुमान
सा.क्षे.उ.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय